IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO105 of 2025

Ajay Pratap Singh … Applicant

Versus

District Magistrate, Mainpuri & Ors. … Respondents

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT (DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI) TO THE ORIGINAL APPLICATION OF THE APPLICANT ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.	4-17
2.	**ANNEXURE 1.** Certified copy of the order passed by the Sub-Divisional Magistrate, Regulated Area, Mainpuri, directing removal of the encroachment by St. Mary's School, Ashram Road, Mainpuri.	18
3.	**ANNEXURE 2.** Certified copy of the appellate order dated 30-08-2019 passed by the Controlling Authority, Regulated Area (District Magistrate, Mainpuri) in Appeal No. 1/2016, affirming the order of the Sub-Divisional Magistrate and dismissing the appeal of St. Mary's School.	19-31

4.	**ANNEXURE 3.** copy of the interim order(s) passed by the Hon'ble High Court in Writ Petition No. 34256/2019 (St. Mary's School v. State of U.P. & Ors.), staying implementation of the impugned orders.	32-33
5.	**ANNEXURE 4.** Certified copy of the demolition order passed by the Designated Authority, Regulated Area, against the unauthorised commercial mall of Smt. Vijay Kumari (W/o Shri Satish Yadav) situated on Kachhari Road, Mainpuri.	34-36
6.	**ANNEXURE 5.** Certified copy of the order passed by the learned District Judge, Mainpuri, in Misc. Appeal No. 07/2020 (State of U.P. v. Vijay Kumari), vacating the temporary injunction granted by the trial court and upholding the demolition order.	37-48
7.	**ANNEXURE 6.** copy of the order dated 08-11-2021 of the Hon'ble High Court at Allahabad in Writ Petition No. 6096/2021 (Vijay Kumari v. State of U.P. & Ors.), staying the proposed demolition of the said commercial mall.	49-51
8.	**ANNEXURE 7.** Compilation of show-cause/eviction notices (approximately 170 in number) issued by the joint team of the District Administration and the Irrigation Department, Mainpuri, to encroachers within the 50-metre buffer zone of the Ishan River, along with colour photographs documenting the encroachment-removal drives.	52-69

9.	**<u>ANNEXURE 8.</u>** Photographs and progress report evidencing installation of protective iron-mesh screens at the discharge points of the drains joining the Ishan River, undertaken by the Nagar Palika Parishad, Mainpuri.	69-73

THROUGH

Date:14.07.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO105 of 2025

Ajay Pratap Singh … Applicant

Versus

District Magistrate, Mainpuri & Ors. … Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT (DISTRICT MAGISTRATE, MAINPURI) TO THE ORIGINAL APPLICATION OF THE APPLICANT ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

That the answering Respondent No.3 respectfully submits that every statement, contention or averment in the Original Application, which is inconsistent with, or contrary to, the present reply or the official record stands specifically denied.

PRELIMINARY SUBMISSIONS/OBJECTIONS

1. That it is respectfully submitted that the applicant, in his application, has alleged that St. Mary's School, Ashram Road, Mainpuri, has encroached upon the river. In order to remove the said encroachment, the designated authority (Sub-Divisional Magistrate, Regulated Area, Mainpuri) passed an order directing removal of the encroachment. Against this order, an appeal (Appeal No. 1/2016, under Section 15(2) of the Building Regulation Act, 1958) was filed before the appellate authority, i.e. the Controlling Authority, Regulated Area (District Magistrate, Mainpuri – the Respondent herein). The said appeal was **dismissed on 30.08.2019**, and the order of the

subordinate authority directing removal of the encroachment was affirmed as proper and lawful.

2. That aggrieved by the dismissal of the appeal, St. Mary's School approached the Hon'ble High Court by filing Writ Petition No. 34256/2019. The Hon'ble High Court was pleased to **stay the implementation** of the appellate authority's order on an interim basis. The said writ petition is still **pending adjudication** before the Hon'ble High Court, and a counter affidavit has been filed therein by the present Respondent. Since the matter is sub-judice before the Hon'ble High Court and an interim stay is in operation, it is not possible to take any further action against St. Mary's School at the local level at this stage. The status report of the proceedings before the designated authority/appellate authority and the orders of the Hon'ble High Court are annexed herewith as **Annexure 1, 2, and 3**.

3. The applicant has also made allegations regarding a commercial mall situated on Kachhari Road, Mainpuri. In this respect, it is submitted that the designated authority (Regulated Area) had passed a **demolition order** against the owner of the said property, Smt. Vijay Kumari (wife of Shri Satish Yadav), for unauthorized construction/encroachment. The owner's appeal against the demolition order was dismissed by the appellate authority. Thereafter, Smt. Vijay Kumari filed Civil Suit No. 88 of 2017, *Vijay Kumari vs. State of Uttar Pradesh*, in which the learned trial court granted a temporary injunction (stay) on the demolition. The State Government (through the answering Respondent) filed Misc. Appeal No. 07 of 2020, *State of U.P. vs. Vijay Kumari*, before the District Judge, Mainpuri. The appellate court (District Judge) **allowed the appeal** and **vacated the temporary injunction**, effectively clearing the way for demolition.

4. That aggrieved by the appellate order, Smt. Vijay Kumari approached the Hon'ble High Court at Allahabad by filing Writ Petition No. 6096/2021 (*Vijay Kumari vs. State of Uttar Pradesh*). The Hon'ble High Court, vide order dated 08.11.2021, **granted a stay** on the demolition. Thus, in this case as well, a stay order is currently operative by direction of the Hon'ble High Court. In such a situation, no action can presently be taken at the local level with respect to the mall in question. Copies of the orders passed by the designated authority, the appellate court, and the Hon'ble High Court in this matter are annexed as **Annexure 4, 5, and 6**.

5. Therefore, in view of the above facts and circumstances, it is humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the applicant's petition, as the Respondent and authorities have already taken appropriate action and the matters are sub-judice before the Hon'ble High Court.

PARA-WISE REPLY TO THE APPLICATION

1. The contents of paragraph 1 of the application are formal in nature and **require no comment** from the answering Respondent.

2. The contents of paragraph 2 of the application are also formal in nature and **call for no comment**.

3. The contents of paragraph 3 of the application, along with its sub-paragraphs, are **denied**. The applicant is not entitled to any relief, having presented distorted facts before this Hon'ble Tribunal. The para-wise reply to paragraph 3 and its sub-paragraphs (I to XIV) is as follows:
   I. The contents of sub-paragraph (I) under paragraph 3 of the application are formal and **require no comment**.

II. The contents of sub-paragraph (II) under paragraph 3 of the application **require no comment**.

III. The contents of sub-paragraph (III) of paragraph 3 are **denied**. In reply, it is submitted that, The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi,. has issued guidelines concerning the maintenance of a green buffer zone and prohibiting any building activity along the river banks. The relevant guideline is reproduced below for ready reference:

> **8.3.4 Buffer Along/Around Water Bodies:**
> *"The water bodies and watercourses shall be maintained as a recreational/green buffer zone and no building activity other than recreational use shall be carried out within:*
> *(a) 100 m from the river edge outside Municipal Corporation/Municipal limits, and 50 m from the river edge within Municipal Corporation/Municipal limits. No permanent construction shall be permitted within this buffer zone.*
> *(b) 50 m from the boundary of lakes having a surface area of 10 ha (hectares) and above.*
> *(c) 30 m from the boundary of lakes or water bodies of area less than 10 ha, including ponds and tank bed lands.*
> *(d) 12 m from the boundary of major canals, streams, and nallahs, etc."*

In accordance with the above guidelines (which mandate a 50-meter buffer zone from the river bank in urban areas), a joint team of the District Administration and the Irrigation Department, Mainpuri, has identified all encroachments within 50 meters of both banks of the Ishan River. Notices were issued on various dates to approximately **170 individuals** instructing

them to remove the encroachments identified on the banks of the Ishan. In several locations, encroachments along the Ishan River have already been **removed forthwith**. Efforts are ongoing to identify any remaining encroachments and to ensure their removal at the earliest. A list of the notices issued, along with photographs documenting the encroachment-removal proceedings, is annexed herewith as **Annexure 7**. The answering Respondent and the local administration are diligently complying with the buffer zone guidelines and taking necessary action against encroachments.

IV. The contents of sub-paragraph (IV) are **denied**. It is specifically clarified that **no chemical-laden wastewater from any factory** in Mainpuri district is being discharged into the Ishan River. As far as the issue of domestic sewage or drain water flowing into the river is concerned, a detailed action plan is under preparation to address and mitigate this issue in a systematic manner.

V. The contents of sub-paragraph (V) are **denied** as incorrect. It is submitted that the Ishan River is essentially a **seasonal river**. The river Ishan enters in the Mainpuri district tehsil ghiror and flows through tehsil Sadar , bhogaon and Kishani and thereafter enters the district Kannauj. During the summer months there is reduced flow in the Ishan River. In the urban areas of Mainpuri district (Tehsil Mainpuri Sadar and Bhogaon), the wastewater (primarily domestic sewage) from households is carried into the Ishan River through the following eight (8) drains. Importantly, this wastewater **does not contain any industrial effluent or chemical waste** from factories; it is mostly domestic in nature:

S.No.	Local Body	Drain Description (Location)	Outfall into Ishan River
1.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Kharja Drain	Joins Ishan River
2.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Drain meeting near Satish Mall	Joins Ishan River
3.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Drain meeting at Chandeshwar Mandir Road	Joins Ishan River
4.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Drain near Shamshan Ghat	Joins Ishan River
5.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Drain at Karbala Ghat	Joins Ishan River
6.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	"Lenging" Drain near St. Mary's School	Joins Ishan River
7.	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Drain at Ishan River bridge on Kurawali Road	Joins Ishan River
8.	Nagar Panchayat, Kusmara	Kori Nala (drain) at Kusmara	Joins Ishan River

[All the above-listed drains carry only domestic/municipal wastewater and no industrial chemical effluent.]

At present, the Nagar Palika Parishad, Mainpuri has installed **protective iron mesh (screens)** at the discharge points of **Four (4)** of the above drains, at the locations where they meet the Ishan River. This has been done to prevent solid garbage and refuse from entering the river along with the wastewater. Installation of similar wire mesh screens on the remaining drains is in progress **Annexure 8**. Furthermore, an action plan for the

construction of a **Sewage Treatment Plant (STP)** to intercept and treat the sewage from these drains is being prepared by the Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Agra. A survey to measure the flow in each of the drains joining the Ishan River (especially those on the right bank side) is currently underway as part of this plan. It is submitted that considerable efforts have been made by the previous administrative officials to keep the Ishan River clean, and the present administration is **continuing and intensifying** those efforts.

VI. The contents of sub-paragraph (VI) are **denied**. In this regard, it is reiterated that the Ishan River is a **seasonal river**; the volume of water in the river naturally increases during the monsoon (rainy season). The strong flow of the river water during the rainy season effectively **washes away and cleans out** aquatic weeds such as water hyacinth (locally referred to as "water manjani") and other debris or pollutants that may have accumulated during the lean season. Thus, the river has a natural rejuvenation cycle during the rains which helps in maintaining its cleanliness to some extent.

VII. The contents of sub-paragraph (VII) are **denied**. The answering Respondent respectfully submits that the concerns raised therein have already been addressed in the reply to sub-paragraph VI above, which is reiterated here. No new facts have been stated by the applicant in this sub-paragraph that require a separate response.

VIII. The contents of sub-paragraph (VIII) are also **denied**. The Respondent repeats and relies upon the explanation given in reply to sub-paragraph VI (supra), as the statements made by the applicant in para (VIII) are of a similar nature and have been fully addressed by the earlier response.

IX. The contents of sub-paragraph (IX) are **denied**. It is submitted that **every possible effort** has been made by the answering Respondent and even by previous District Magistrates to keep the Ishan River clean. Due to these sustained efforts, **no chemical-laden water from any factory** has ever been allowed to discharge into the Ishan River. The district administration remains vigilant to prevent industrial pollution in the river, and this fact stands as evidence of the diligence exercised by the authorities.

X. The contents of sub-paragraph (X) of the application are **denied** as incorrect and misconceived. (The applicant's averments therein are not borne out by facts on the ground.)

XI. The contents of sub-paragraph (XI) of the application are formal in nature and **do not require any response** from the Respondent.

XII. The contents of sub-paragraph (XII) **require no reply**, as they contain no averment warranting either admission or denial.

XIII. The contents of sub-paragraph (XIII) are also formal/allegational and **call for no comment**.

XIV. The contents of sub-paragraph (XIV) **require no comment** from the Respondent.

PARA-WISE REPLY TO THE GROUNDS

A. The contents of Ground (A) of the application are formal and **require no comment**.

B. The contents of Ground (B) are **denied**. The answering Respondent has **not committed any negligence or violation** of duty as alleged. On the contrary, the

Respondent has been making all possible efforts to keep the Ishan River clean and to continuously identify and remove encroachments from its banks, in compliance with applicable rules and orders. There is no dereliction on part of the Respondent.

C. The contents of Ground (C) are **denied**. The Respondent repeats and reiterates the submissions made in reply to Ground (B) above, which fully cover the assertions made by the applicant in Ground (C).

D. The contents of Ground (D) are **denied** as incorrect. The applicant's claims are baseless and not supported by any evidence; hence they are refuted by the Respondent.

E. The contents of Ground (E) are **denied**. It is specifically submitted that **no chemical-laden wastewater from any factory is flowing into the Ishan River** in Mainpuri district. The applicant's insinuation of industrial pollution is misplaced. The Respondent has ensured that industrial effluents are not discharged into the river, and the water flowing in the Ishan River within Mainpuri is free from factory chemicals, as stated in the earlier paragraphs.

F. The contents of Ground (F) of the application are formal in nature and **do not require any comment**.

G. The contents of Ground (G) **require no response**, being mere reiterations or legal averments not calling for a factual reply.

H. The contents of Ground (H) **require no comment** from the Respondent.

I. The contents of Ground (I) **require no comment**.

J. The contents of Ground (J) **do not merit a reply**, as they contain no material allegations against the Respondent.

PRAYER

In view of the foregoing submissions, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the Original Application (O.A.) filed by the applicant, The Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to submit any further material or affidavit, if so directed, and humbly prays for such other or further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the interest of justice.

THROUGH

Priyanka

Date:14.07.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO105 of 2025

Ajay Pratap Singh … Applicant

Versus

District Magistrate, Mainpuri & Ors. … Respondents

AFFIDAVIT

I, **Anjani Kr. Singh,** aged about 53 years s/o Sh. Ambika Singh is presently posted as **District Magistrate, Mainpuri.**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at ___________ on this _____ day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Sanjeev Gaur Advocate
NOTARY
Distt. Mainpuri
Regd. No. 7309
GOVT. OF INDIA

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजनीश कुमार सिंह
पुत्र श्री आम्बिका सिंह
जिन्होने इस शपथ पत्र की विषय वस्तु को पूर्णतः
समझ लिया है, ने आज समय .... बजे
पूर्वान्ह/अपरान्ह स्थान मैनपुरी में शपथ पूर्वक
ब्यान किया इनकी उचित रूप से पहचान कराई
गई दिनांक 14-7-25

संजीव गौड़, एडवोकेट
नोटरी
जिला मैनपुरी (उ०प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL CANCELLED NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

94AE 734718

CANCELLED

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ Sanjeev Gaur Advocate NOTARY Distt. Mainpuri Regd. No. 1799

CANCELLED

108

कोषागार मैनपुरी (उ०प्र०)
कोड नं०-0900

16 APR 2025

मुख्य कोषाधिकारी

322
14/7/25

डिप्टी लाल
स्टाम्प विक्रेता, ला०नं०- 17
दीवानी, मैनपुरी

विनियमित क्षेत्र मैनपुरी (उ०प्र०)

प्रारूप "ग"

गिराये जाने का नोटिस

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र मैनपुरी,
जनपद मैनपुरी (उ0प्र0)
सख्या 1750 / वि0क्षे0मै0 दिनांक जुलाई 04 ,2016
सेवा में,

श्री दीपक जी0दास प्रबन्धक,
सेन्ट मेरी स्कूल आश्रम रोड (नाले के पास) मैनपुरी
जनपद मैनपुरी (उ0प्र0)

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा 10 के अधीन निर्माण को गिराने हेतु आदेश।

चूँकि आपने मौजा मैनपुरी देहात के खसरा नं0 2920,2922 व 2924 तहसील मैनपुरी की भूमि पर आश्रम रोड (नाले के पास) मैनपुरी शहर में भवन सन्निमार्ण पूर्ण कर चुके है। जो कि सेन्ट मेरी स्कूल के लिए निर्मित कराया गया है।

तथा चूँकि आपको सुनवाई तथा यह कारण बताने हेतु उक्त सन्निमार्ण को क्यों न गिराने हेतु आदेश न दिया जाये दिनांक 05.07.2013 से दिनांक 17.06.2016 तक कुल 31 अवसर प्रदान किये जा चुके हैं, तथा आप ऐसा आदेश जारी किये जाने के विरूद्व कारण बताने में असफल रहे है। कोई पर्याप्त कारण नही बताया है।

एतद्द्वारा आपसे उक्त सन्निमार्ण (समस्त निर्माण सेन्ट मेरी स्कूल आश्रम रोड नाले के पास मैनपुरी शहर) इस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से 7 दिन के अन्दर गिराने की आवेदन की जाती है। जिसमें असफल रहने पर प्राधिकारी स्वंय सन्निमार्ण को गिरवा सकेगा तथा ऐसे गिराये जाने पर उद्भूत व्यय आपसे भूराजस्व के बकाये की भॉति वसूल किये जाने योग्य होगा।

04/07/2016
नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र मैनपुरी।

S.D.M (CITY)

ANNEXURE 2

नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र / जिलाधिकारी, मैनपुरी।

अपील स0: 01 / 2016 — धारा 15(2) उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनयम, 1958

सेन्ट मैरीज स्कूल, आश्रम रोड, मैनपुरी द्वारा प्रबन्धक दीपक जी दास व अन्य — बनाम — नियत प्राधिकारी / एस0डी0एम0 विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी।

:: निर्णय ::

सेन्ट मैरीज स्कूल, आश्रम रोड, मैनपुरी द्वारा प्रबन्धक श्री दीपक जी दास व दीपक दासप्रबन्धक सेन्ट मैरीज स्कूल, आश्रम रोड, मैनपुरी ने नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र / एस0डी0एम0, मैनपुरी के वाद संख्या: 14 / 2013 सरकार बनाम श्री दीपक जी दास, प्रबन्धक सेन्ट मैरीज स्कूल, आश्रम रोड, मैनपुरी अंतर्गत धारा–10 उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 के विरूद्धउ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनयम, 1958 धारा 15(2) के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र / अपीलीय अर्थोरिटी के समक्ष दिनांक 27.07.2016 को अपील प्रस्तुत किया है। इस अपील संख्या–01 / 2016 पर अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा दिनांक 27.07.2016 में अपील को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

2– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार निम्नवत् है:–

2- (i) Because the order impugned is wholly without jurisdiction and infact the case no. 14 of 2013 dated 27-06-2013 in which it has been passed, could not even been registered. As a matter of fact, the entire proceedings of the said case were clearly not maintainable.

2- (ii) Because, the order impugned wrongly records that some show cause notice was allegedly served upon some "Sukhvir" on 28-06-2013 and signatures of such "Sukhvir" had been obtained on a copy of the notice. The appellants specifically deny not only the service of such notice upon "Sukhvir" but also the very existence of "Sukhvir" as an employee in the institution. Infact there is no person namely "Sukhvir" in the appellants' institution and, as such, it is apparent that manipulations were made from the level of opposite party in effecting alleged service of show cause notice giving rise to the impugned proceedings.

2- (iii) Because in so far as the sanctioned map dated 08-01-2001 is concerned, it is submitted that sanction was accorded to a map submitted by the appellant no.2 alongwith other co-sharers of the land covered by gata no. 2924 situated at Ashram Road Mainpuri.

कमशः पेज ....2 पर

S.D.M (CITY)

2- (iv) Because, constructions on the spot were raised strictly in accordance with the map so sanctioned and in so far as 5 conditions on which sanction was granted, none of the same was violated.

2- (v) Because. the opposite party has passed the impugned order and cancelled the santion granted 15 years ago, on the ground that Milk Dairy had not been established on the spot and that a School is being run. The appellants are advised to submit that power under Section of the Act can be exercised only when the erection or re-erection of or material change in any building has been commenced or is being carried on or has been completed in contravention of any regulation made under this Act or without the permission referred to in Section 6 or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted.

2- (vi) Because, the record indicates that sanction was accorded in the year 2001 and the same was extended/renewed upto 2004 and then upto 2007 whereafter no further renewal was required inasmuch as the constructions were fully completed by that time. During this period of 7 years (w.e.f. 2001 to 2007) and even thereafter upto 2013 absolutely no objection was raised by the opposite party or Government with regard to alleged violation of sanctioned map or existence or running of the educational institution on the spot. Hence invocation of power under Section 10 after about 16 years is highly belated and unjustified and also hit by the principles of estoppel and acquiescence.

2-(vii) Because the sanction so accorded in the year 2001 was renewed for a further period of three years i.e. upto 2004 and then for a further period of three years i.e. upto year 2007. In the meantime the appellants constructed the building strictly in consonance with the sanction map, however, Milk Dairy could not be established as the requisite assets, cattle, plant, machinery and finance could not be arranged. Nevertheless in so far as the construction is concerned absolutely no deviation was made by the appellants and constructions stood completed in the year 2006-2007.

2-(viii) Because, the institution is paying Muncipal Taxes to the local Municipality of Mainpuri and also electricity charges to the Electricity Department. A photocopy of the one receipt concerning deposit Muncipal Taxes in Annexure-6 and a copy of electricity bill and its receipt Annexure-7 to the affidavit.

2- (ix) Because the impugned order records that there was some complainant namely Indravir singh who was instrumental in damaging the institution and he was being heard in the matter . However, in so far as the appellants are concerned, the

कमशः पेज....... 3 पर

proceedings, were held and decided in gross violation of principles of the natural justice inasmuch as the dates 01-06-2016 and 17-06-2016 were fixed in the matter (as per the impugned order) however,no proceedings were held on such dates as the Presiding Officer was busy in Administrative Work, as a result whereof 04-07-2016 was fixed as the next date. It is this date i.e. 04-07-2016 on which the impugned order has been passed.

2- (x) Because, in the present case, absolutely no show cause notice, as required Form-B was issued to the appellants and hence an action in terms of directing issuance of a demolition notice is per-se illegal and deserves to be set aside. Infact Form-B provides issunace of a show cause notice. In the present case no show cause notice in Form-B or otherwise was issued to or served upon the appellants. Hence the consquential action as ordered in the impugned order is wholy unsustainable and deserves to be denounced on this ground alone.

अन्त में, अपीलार्थी द्वारा नियत प्राधिकारी के आदेश दिनांक 04.07.2016 को निरस्त किये जाने एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे के लिए अनुरोध किया गया है।

3- (i) वैधानिक प्रकिया के अनुसार अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश दिनांक 27.06.2016 के कम में अपील के बिन्दुओं पर प्रस्तरवार आख्या प्राप्त कर अपील सुनवाई हेतु नियंत्रक प्राधिकारी सभा में प्रस्तुत की गई, एवं सुनवाई हेतु नियत तिथि 15.06.2017 को उपस्थित होने के लिए अपीलांट को सूचित किया गया। नियत दिनांक 15.06.2017 को अपीलांट उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई हेतु अन्य तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया। न्यायहित में नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश "निर्माण स्थल पर लघु अथवा बड़ा निर्माण, मरम्मत कार्य व अन्य परिवर्तन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें, जब तक कि प्रबन्धक की अपील का अंतिम रूप से निस्तारण न हो जाये" पारित किया गया तथा सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि प्रदान की गई।

3- (ii) अपील की सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 18.06.2018 को नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलांट को सूचना प्रेषित की गई, जिसकी विधिवत तामील अपीलांट पर हुई। परन्तु, नियत तिथि पर सुनवाई के समय अपीलांट उपस्थित नहीं आये। न्यायहित में नियंत्रक प्राधिकारी सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी को दिया गया, एवं पुनः अपीलांट को नियत तिथि की सूचना दिये जाने हेतु तथा अवैध भवन में स्कूल संचालित किये जाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों का चिन्हीकरण जिला विद्यालय निरीक्षक से कराये जाने एवं अगली सुनवाई की तिथि पर

क्रमशः पेज.... 4 पर

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिये गयें।

3- (iii) सुनवाई हेतु नियत तिथि 14.09.2018 की सूचना अपीलांट को तामील करायी गयी। अपीलांट उपस्थित हुये। पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य से मुख्यालय से बाहर होने के कारण सुनवाई की अग्रिम तिथि 05.10.2018 नियत की गई। दिनांक 05.10.2018 को अपीलांट की तरफ से सुनवाई हेतु समय चाहा गया, जिस पर उसे सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि प्रदान की गई। दिनांक 31.07.2019 को पत्रावली सुनवाई हेतु पुनः अध्यक्ष,नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट प्रबन्धक, सेन्ट मैरीज स्कूल, मैनपुरी की तरफ से श्री प्रवेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक उपस्थित हुये, और उन्होनें सुनवाई हेतु 02 माह का समय चाहा। न्यायहित में सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2019 नियत की गई, साथ ही अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण अपील की सुनवाई नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

3- (iv) दिनांक 05.08.2019 को अपीलांट द्वारा "to frame the point of determination before hearing and disposing off the instant appeal." से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। लॉ एण्ड आर्डर की बैठक में अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी की व्यस्तता के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2019 नियत की गई।

3- (v) नियत तिथि पर नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपीलांट मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिपक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) उपस्थित हुये। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.2019 को सुनवाई के उपरांत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.2019 नियमानुसार आर0बी0ओ0 एक्ट, 1958 की प्रकिया में धार्य न होने के कारण निरस्त किया गया। अपीलांट द्वारा कम से कम दो माह का समय इस अपील की सुनवाई में प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। न्यायहित में अपीलांट को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 26.08.2019 नियत की गई।

3- (vi) नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष नियत दिनांक 26.08.2019 में अपील की सुनवाई की गई। अपीलांट मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिपक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल व जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व उपस्थित हुये। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुये लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

4- (i) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियत प्राधिकारी/एस0डी0एम0, मैनपुरी द्वारा अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट पर नोटिस की तामीला विधिवत

क्रमशः ...

नहीं कराई गई है। प्रश्नगत आदेश में कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.06.2013 को सुखवीर पर तामील होना अंकित किया गया है, जबकि सुखवीर नाम के व्यक्ति का संस्था में कार्यरत होने से स्पष्टतः नियत प्राधिकारी के समक्ष इन्कार किया गया था। इस कारण से भी नोटिस की तामील विधिवत नहीं थी। प्रपत्र 'अ' व 'ब' के बगैर सीधे ही भवन गिराने का नोटिस प्रपत्र 'ग'जारी किया गया है, जबकि प्रपत्र 'अ' व 'ब' दिये बगैर उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा–10 के अन्तर्गत कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध नहीं की जा सकती थी। अपीलान्ट द्वारा कोई निर्माण अथवा पुनः निर्माण नहीं किया गया है, जो निर्माण है, वह पहले का है। अपीलांट सं0–02 द्वारा गाटा संख्या – 2924 स्थित आश्रम रोड, मैनपुरी पर निर्माण के सम्बन्ध में वर्ष 2001 में नक्शा स्वीकृत कराया गया था, जिसे वर्ष 2007 तक नवीनीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप वर्ष 2007 तक भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया था एवं उसके पश्चात् किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। नियत प्राधिकारी द्वारा 15 वर्ष पूर्व स्वीकृति को निरस्त किया जाना वैधानिक नहीं है। नियत प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन कर आदेश पारित किया गया है। अतः नियत प्राधिकारी का आदेश अवैधानिक होने के कारण निरस्त किया जाये।

5- (i) प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता, द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर कहा गया कि नियत प्राधिकारी/एस0डी0एम0, मैनपुरी द्वारा उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 में दी गई प्रकिया के अनुसार विधिवत कार्यवाही की गई है। तत्कालीन जिलाधिकारी के संज्ञान में अपीलांट द्वारा अवैध रूप से ईसन नदी सीमान्तर्गत भवन बनाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा उप जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी को जॉच कर उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिस पर जॉचोपरान्त अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'घ' पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपनी आख्या दिनांक 27.06.2013 प्रस्तुत की गई। आख्या पर नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'ख' पर कारण बताओ नोटिस सं0–14 दिनांक 27.06.2013 अपीलांट को निर्गत किया गया। विद्यालय की ओर से विद्यालय की प्रधानाचार्या, श्रीमती मनोरमा द्वारा उप जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 24.07.2013 प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि विद्यालय जिस भवन में चल रहा है, उसका नक्शा विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी से स्वीकृत हुआ है। मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 08.01.2001 को दी गई है, तथा सन् 2004 में नक्शा रिन्यू कराया गया है। जहॉ तक विद्यालय भवन के पीछे बह रही नदी का सवाल है, यह धीमे–धीमे कटान कर यहां तक आ गई है।

5- (ii) जिला शासकीय अधिवक्ता, द्वारा यह भी कहा गया कि संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्र से स्पष्ट है, कि संस्था पर नोटिस विधिवत तामील था, फिर भी नियत

क्रमश पेज 6 पर

प्राधिकारी द्वारा पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायहित में अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः नोटिस दिनांक 08.01.2016 को पूर्व निर्गत "कारण बताओ नोटिस" की छायाप्रति संलग्न करते हुये प्रेषित किया गया। नोटिस तामील करने वाले कर्मचारी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया, कि उसके द्वारा दिनांक 11.01.2016, 14.01.2016, 18.01.2016, 25.01.2016 को प्रबन्धक पर तामील कराने का प्रयास किया गया, परन्तु संस्था में प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के बाहर होने के कारण नोटिस की तामील नहीं हो पा रहा है। अतः नोटिस स्कूल पर चस्पा करने की अनुमति चाही गई। नियत प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत डाक से एवं नोटिस चस्पा कराके तामील कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, तत्क्रम में पंजीकृत डाक से प्रेषित नोटिस को भी अपीलांट द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। अतः पंजीकृत डाक कार्यालय में वापस प्राप्त हुई एवं कार्यालय के कर्मचारी द्वारा विद्यालय भवन के मुख्य गेट, जो आश्रम रोड की तरफ है, उस पर दो गवाह रंजीत राजपूत एवं मोनू शाक्य की उपस्थिति में दिनांक 24.02.2016 का चस्पा कर तामील की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस प्रकार अपीलांट पर पर्याप्त तामील करायी गयी है। अपीलांट का यह कथन पूर्णतः निराधार है कि उन पर नियत प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील की कार्यवाही नहीं करायी गई है और नियत प्राधिकारी के कार्यालय में विधिवत कार्यवाही संचालित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट पर नोटिस तामील होने का पुष्ट साक्ष्य यह भी है कि सेन्ट मैरीज विद्यालय के लेटरपैड पर श्री दीपक जी दास पुत्र स्व0 श्री ए0जी0 दास, नि0-चर्च कम्पाउण्ड, मैनपुरी बहैसियत प्रबन्धक, सेन्ट मैरीज स्कूल, शहर व जिला मैनपुरी की ओर से पत्र दिनांकित 10.03.2016 के माध्यम से अपीलांट द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी सभा को भ्रमित और गुमराह करने के उद्‌देश्य से नियत प्राधिकारी की कार्यवाही में न बरती जाने वाली कमियों को उजागर किया गया है, जिनका कोई पत्रावली पर साक्ष्य नहीं है।

5- (iii) जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि विद्यालय भवन गाटा संख्या- 2920, 2922 एवं 2924 स्थित मौजा मैनपुरी देहात में ईसन नदी की तलहटी में स्थित है। वर्णित गाटों में से गाटा संख्या- 2924 महायोजना प्रस्ताव के अनुसार कृषि हरित पट्‌टिका भू-उपयोग के अंतर्गत आता है एवं गाटा संख्या- 2920 एवं 2922 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। अपीलांट को नियत प्राधिकारी द्वारा गाटा संख्या - 2924 महायोजना के अनुसार मिल्क डेयरी के मानचित्र की स्वीकृति दी गई थी, इस तथ्य को अपीलांट द्वारा स्वयं भी स्वीकार किया गया है। गाटा संख्या- 2920 एवं 2922 के सम्बन्ध में कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा मिल्क डेयरी हेतु स्वीकृत कराये गये मानचित्र के आधार पर कपट पूर्वक तत्समय नियत प्राधिकारी कार्यालय के जिम्मेदार कर्मचारियों से साज कर मानचित्र की शर्त का उल्लघंन कर ग्राम मैनपुरी देहात के गाटा संख्या-2924 जो ईसन नदी

क्रमशः पेज ... पर

नदी के किनारे स्थित है एवं गाटा संख्या – 2920 एवं 2922 जो ईसन नदी के किनारे हैं एवं महायोजना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है, पर भी बगैर मानचित्र स्वीकृत कराये बहुमंजिला भवन का अवैध निर्माण कराया गया है। अपीलकर्ता साफ मन एवं स्वच्छ भाव से नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष नहीं आया है। अपीलकर्ता द्वारा कभी भी नियत प्राधिकारी अथवा नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष अपना पक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है अपितु मामले को अनावश्यक उलझानें का ही प्रयत्न किया गया है। ऐसे चालबाज मुकदमेंबाज व्यक्तियों को न्यायालय में पहुंच बनाने का कोई अधिकार नहीं है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0पी0सी0 नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य में पारित आदेश, जो ए0आई0आर0 1994 एस0सी0पृष्ठ–853 पर उद्धृत है, का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उक्त व्यवस्था वर्तमान अपीलांट के ऊपर पूरी तरह लागू होती है। अपीलांट द्वारा भू–खण्ड संख्या –2924 में अपनी कपटपूर्ण पूर्वयोजना के अन्तर्गत मिल्क डेयरी के निर्माण हेतु नक्शा पास कराया गया क्योंकि उक्त भू–खण्ड मैनपुरी महायोजना में हरित पट्टी के रूप में दर्ज है और इस भू–खण्ड पर विद्यालय भवन का नक्शा नहीं पास हो सकता था। अपीलांट द्वारा कोई मिल्क डेयरी नहीं स्थापित की गयी, बल्कि उसकी आड़ में विद्यालय भवन का निर्माण कर लिया गया। विद्यालय की मान्यता हेतु भी सारी कार्यवाही अपीलांट द्वारा की गयी। पूरे घटनाक्रम एवं परिस्थिति से स्पष्ट है कि शुरू से ही अपीलांट के मन में पर्यावरण, बच्चों के जीवन संकट, स्थापित विधि व्यवस्था के प्रति कोई आदर भाव नहीं था, बल्कि इन सब के प्रतिकूल योजनाबद्ध एवं कपटपूर्ण तरीके से कार्य किया गया।

5- (iv) नियत प्राधिकारी द्वारा अपीलांट को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं। अपीलांट द्वारा नियत प्राधिकारी के समक्ष अथवा नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष गाटा संख्या– 2924 में स्वीकृत कराये गये नक्शे की मूलप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही अपीलांट के द्वारा अपने जबाव में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसके द्वारा गाटा संख्या– 2920 एवं 2922 में भवन निर्माण के लिए कोई नक्शा स्वीकृत कराया गया हो। विद्यालय का बहुमंजिल भवन ईसन नदी के बिलकुल किनारे बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित होने के कारण विद्यालय भवन कभी भी गिरना सम्भाव्य है, जिससे उसमें अध्ययनरत छात्र एवं विद्यालय के स्टाफ को नुकसान होकर व्यापक जनहानि होने की प्रबल संभावना है। नियत प्राधिकारी द्वारा विधि संगत ढंग से गुण–दोष पर पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 को स्थिर रखते हुये अपीलांट की अपील विधि एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त की जाये।

क्रमशः पेज ... 3

6- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कसंगत बहस सुनी गई एवं नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/एस0डी0एम0 मैनपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 एवं नियत प्राधिकारी कार्यालय की सम्बन्धित पत्रावली व अपीलीय पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6- (i) अपील में अंकित किया गया है कि अपीलांट पर नियत प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस की तामील विधिवत नहीं करायी गयी है, नोटिस जिस सुखवीर नाम के व्यक्ति पर तामील होना दर्शाया गया है वह संस्था का कर्मचारी नही है इस कारण नियत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में भी यही बात दोहराई गई है। अपीलांट के इस तर्क के खण्डन में शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रति उत्तर में तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि अपीलांट का यह कथन कि सुखवीर नाम का कोई व्यक्ति उनकी संस्था में नहीं था, बिल्कुल असंगत है, क्योकि नोटिस सुखवीर नाम के व्यक्ति पर तामीला होने के दिनांक 28.06.2013 के पश्चात विद्यालय/संस्था की प्रधानाचार्या द्वारा दिनांक 24.07.2013 को उप जिलाधिकारी मैनपुरी को पत्र प्रेषित कर जबाव प्रस्तुत किया गया कि विद्यालय का भवन स्वीकृत मानचित्र के आधार पर निर्मित है। इसके अतिरिक्त नियत प्राधिकारी द्वारा पुनः विद्यालय/संस्था के प्रश्नगत भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 24.02.2016 को नोटिस चस्पा कराकर तामील कराई गई है। जिसके पश्चात् दिनांक 10.03.2016 को दीपक जी दास प्रबंधक सेन्ट मैरीज स्कूल, मैनपुरी द्वारा अपना लिखित जबाव उप जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्रस्तुत किया गया है।

नियत प्राधिकारी कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के उक्त तर्क की पुष्टि नही होती है कि उन पर नोटिस की तामील विधिवत नहीं करायी गयी। विपरीत इसके शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलांट पर नोटिस तामील होने के सम्बन्ध में जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वह नियत प्राधिकारी कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित है। नियत प्राधिकारी के कार्यालय से नोटिस जारी होने के उपरांत अपीलांट की संस्था सेन्ट मैरीज स्कूल की प्रधानाचार्या द्वारा दिनांक 24.07.2013 को उप जिलाधिकारी, मैनपुरी को पत्र प्रेषित कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराये जाने की जानकारी दी गई थी। संस्था की प्रधानाचार्या द्वारा प्रेषित उक्त पत्र से यह स्पष्ट है, कि संस्था/अपीलांट को नियत प्राधिकारी के समक्ष अपने विरूद्ध संचालित कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी। इसके बावजूद नियत प्राधिकारी द्वारा न्यायहित में पुनः संस्था पर पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 08.01.2016 को नोटिस निर्गत कर तामील के लिए भेजा गया, साथ ही पुनः संस्था पर पंजीकृत डाक से तथा चस्पा कर नोटिस तामील कराने हेतु निर्गत किये गये। पंजीकृत डाक से प्रेषित नोटिस प्रबन्धक के उपस्थित न मिलने के कारण कार्यालय में वापस प्राप्त हुआ। कार्यालय के लिपिक द्वारा दिनांक 24.02.2016 को अपीलांट संस्था के मुख्य द्वार, जो आश्रम रोड की ओर है, उस

कमशः पेज... 9 पर

पर 02 गवाहों की उपस्थिति में नोटिस चस्पा कर तामील करायी गई है। जिसकी फोटोग्राफ नियत प्राधिकारी की पत्रावली में कागज सं0–24 संलग्न है। इस प्रकार नोटिस विधिवत् तामील है एवं अपीलांट को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया है।

6- (ii) अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उनके द्वारा गाटा संख्या–2924 में स्वीकृत मानचित्र दिनांक 08.01.2001 में दी गई शर्तो के आधार पर भवन निर्माण किया गया है, उनके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में भी इस तथ्य पर जोर देते हुये कहा गया कि अपीलांट द्वारा गाटा संख्या– 2924 में स्वीकृत नक्शे के आधार पर निर्माण कराया गया है। मानचित्र में दी गई किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत किये गये कि ग्राम मैनपुरी देहात स्थित गाटा संख्या–2924 मैनपुरी महायोजना में कृषि हरित पट्टिका भू–उपयोग के अंतर्गत आता है जिस पर केवल डेयरी भवन स्थापित करने हेतु मानचित्र नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। गाटा संख्या–2920 एवं 2922 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण इन पर निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया। गाटा संख्या–2924 में अपीलांट द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत शर्तो का उल्लघंन करते हुये मिल्क डेयरी भवन के स्थान पर बहुमंजिल भवन निर्मित कर विद्यालय संचालित किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलांट के योजनाबद्ध कपटपूर्ण आचरण एवं उसके साफ मन एवं स्वच्छ भाव से प्रक्रिया का पालन न करने की स्थिति पर बल देते हुए AIR 1994 S.C. पेज 853 पर प्रकाशित एस0पी0सी0 नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य में पारित आदेश का उल्लेख किया गया।

नियत प्राधिकारी कार्यालय की पत्रावली एवं अपीलीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत प्राधिकारी कार्यालय से गाटा संख्या – 2924 में, जोकि महायोजना के अंतर्गत कृषि हरित पट्टिका के अंतर्गत आता है, सहयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 नगर निगम भवन, आगरा–2 के पत्र संख्या : 62/मै0म0यो0/आगरा/99–2000 दिनांक 29.01.2000 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के उपरांत मिल्क डेयरी भवन हेतु स्वीकृत किया गया था। इस गाटे में मिल्क डेयरी हेतु स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बहुमंजिला भवन निर्मित कराया गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांट इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि गाटा संख्या–2924 में उन्हें बहुमंजिला भवन निर्मित करने हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया हो। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या – 2920 व 2922 बिल्कुल ईसन नदी के किनारे स्थित है, जिसमें बहुमंजिला भवन निर्माण किया जाना अवैध है। भू–खण्ड सं0–2920 एवं 2922 मैनपुरी महायोजना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिनमें निर्माण निषिद्ध है,पर अवैधानिक ढंग से बहुमंजिल भवन अपीलांट द्वारा निर्मित कराया गया है।

क्रमशः पेज ...

विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था के सुसंगत अंश पर विचार किया गया, जो निम्नवत् है:—

"the judicial process should not become an engine of fraud in the hand of dishonest litigants. The Courts of Law are meant for imparting justice between the parties. One who comes to the Court must come with clean hands. We are constrained to say that more often than not, process of the Court is being abused. Property grabbers, tax evaders, bank loan dodgers and other unscrupulous persons from all walks of life find the Court process a convenient lever to regain the illegal gains indefinitely. We have no hesitation to say that a person whose case is based on falsehood, has no right to approach the Court. He can we summarily thrown out at any stage of litigation.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त व्यवस्था पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों को साफ मन एवं स्वच्छ भाव (Clean hands) से प्रक्रियाओं का पालन करते हुये न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। इस प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को, साक्ष्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा भू–खण्ड सं0–2924 में डेयरी हेतु मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। डेयरी निर्माण के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निम्नवत् कथन किया गया है:— "........ the appellants constructed the building strictly in consonance with the sanction map, however, Milk Dairy could not be established as the requisite assets, cattle, plant, machinery and finance could not be arranged." इस कथन के माध्यम से अपीलांट द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि उसके द्वारा डेयरी निर्माण का प्रयास नही किया गया। यदि अपीलांट विधि का पालन करने वाला साफ मन एवं स्वच्छ भाव वाला होता तो यह देखते हुये कि (1) नक्शा डेयरी संचालन के लिए पास हुआ है तथा महायोजना में इसके अतिरिक्त कोई कार्य किया जाना विधि सम्मत नहीं है (2) विद्यालय भवन जैसे निर्माण से नदी के कटान आदि से बच्चों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है, वह डेयरी भवन के बजाय विद्यालय भवन का निर्माण न करता। डेयरी के लिए पास नक्शे पर विद्यालय भवन बनवाया गया एवं वर्ष 2012 में सी0बी0एस0ई0 से 2.502 एकड़ कुल क्षेत्रफल एवं 57,544 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्माण के आधार पर मान्यता भी प्राप्त की गई। इस पूरी प्रकिया से शासकीय अधिवक्ता के इस तर्क की पुष्टि होती है कि आरंभ से ही कपट पूर्ण योजना के अंतर्गत पूरी प्रकिया अपनायी गयी है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त व्यवस्था के आलोक में अपीलांट का पक्ष साफ मन एवं स्वच्छ भाव (Clean hands) से प्रस्तुत किया जाना पूरी प्रकिया के किसी भी स्तर पर नही पाया जाता है, निर्माण विधि विरूद्ध है तथा अनावश्यक

कमशः पेज..... 10 पर

तकनीकी दलीलों एवं तर्कों के सहारे उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधिमान्य नहीं है।

6- (iii) अपीलांट द्वारा अपील में उल्लेख किया गया है, कि नियत प्राधिकारी द्वारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि आर0बी0ओ0 एक्ट, 1958 में फार्म 'ए', फार्म 'बी', फार्म 'सी' एवं फार्म 'डी' कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उल्लिखित है। इस प्रकरण में नियत प्राधिकारी द्वारा फार्म 'बी' में निर्धारित प्रपत्र पर कारण बताओ नोटिस अपीलांट को दिये बगैर कार्यवाही कर गिराने का नोटिस फार्म 'सी' जारी कर दिया गया है। प्रति उत्तर में शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलांट को निर्धारित प्रारूप पर कारण बताओ नोटिस (प्रपत्र 'ख') निर्गत किया गया है जिसकी विधिवत तामील अपीलांट पर नियत प्राधिकारी कार्यालय से कराई गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत प्राधिकारी द्वारा विधिवत (प्रपत्र 'ख') कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.06.2013 को निर्गत किया गया है। इस नोटिस की तामील विधिवत अपीलांट के भवन/विद्यालय के मुख्य द्वार पर चस्पा दिनांक 24.06.2016 को कराये जाने का साक्ष्य उपलब्ध है। साथ ही इस नोटिस के तामील होने के उपरांत अपीलांट द्वारा अपना लिखित जबाव भी दिनांक 10.03.2016 को उप जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का यह तर्क सुसंगत एवं साक्ष्य से समर्थित नहीं है कि उस पर फार्म 'बी' (प्रपत्र 'ख') कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील नहीं हुआ है। फार्म 'बी' (प्रपत्र 'ख') में कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरांत सुनवाई का पूरा अवसर देकर विधिवत एवं विधि सम्मत आदेश नियत प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

6- (iv) अपीलांट द्वारा अपील में उल्लेख किया गया है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 2001 में स्वीकृत नक्शे जिसे वर्ष 2007 तक नवीनीकृत किया गया है, में दी गई शर्त के अनुसार निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूर्ण कर लिया गया था। तब से लेकर वर्ष 2013 तक उसके निर्माण पर कोई आपत्ति प्रतिपक्ष द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार 16 वर्ष बाद धारा–10 के अंतर्गत उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही अन्याय पूर्ण एवं principles of estoppel and acquiescence के सिद्धान्त से बाधित है। प्रति उत्तर में शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि अपीलांट को केवल गाटा संख्या–2924 में मिल्क डेयरी के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया था, परन्तु अपीलांट द्वारा मिल्क डेयरी भवन निर्मित न करके उसके स्थान पर बहुमंजिला भवन निर्मित किया गया है। गाटा संख्या – 2920 एवं 2922 में निर्माण हेतु अपीलांट द्वारा नक्शा स्वीकृत कराये जाने

क्रमशः पेज.....12 पर

का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार इन गाटों में पूर्णतः नक्शा स्वीकृत कराये बगैर निर्माण कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में लिये गये आधार से यह स्पष्ट है कि अपीलांट महायोजना में अनुमन्य भू–उपयोग का घोर उल्लघंन करते हुये निर्माण किया गया है। शिकायत में प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.2012 को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उप जिलाधिकारी मैनपुरी को जॉच कर कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। अपीलांट द्वारा जो तकनीकी दलीलें अपने पक्ष में दी जा रही हैं उसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में विस्तृत विवेचना पूर्व के प्रस्तरों में की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा कपट पूर्ण एवं योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य कराया गया है। इससे स्पष्ट है, कि अपीलांट के विरूद्ध समयान्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है जो principles of estoppel and acquiescence के सिद्धान्त से बाधित नहीं है।

6- (v) अपील में उल्लेख है, कि संस्था द्वारा नगरपालिका को म्युनिसपल टैक्स एवं विद्युत विभाग को बिजली के उपभोग का बिल दिया जाता है। इस सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि म्युनिसपल टैक्स एवं विद्युत विभाग को बिजली के उपभोग का बिल संस्था द्वारा अदा किये जाने का अपीलांट के विरूद्ध की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं है। संस्था द्वारा म्युनिसपल टैक्स एवं विद्युत विभाग को बिजली के उपभोग का बिल अदा किये जाने से अपीलांट द्वारा किया गया निर्माण वैध नहीं हो सकता है और न ही यह बिन्दु इस अपील की सुनवाई में विचारणीय है। कोई भी अवैध निर्माण विद्युत संयोजन अथवा नगरपालिका का टैक्स अदा कर वैध निर्माण की श्रेणी में नही आ सकता। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह आधार भी अविधिक एवं बलहीन होने से अमान्य है।

6- (vi) अपील में उल्लेख किया गया है कि कोई विशिष्ट शिकायतकर्ता संस्था को नुकसान पहुॅचाने के लिए कार्य कर रहा था तथा वाद में उसकी सुनवाई की जा रही थी तथा वाद की कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लघंन करते हुये प्रचलित की गई थी तथा वाद निर्णीत किया गया था। इस सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी सभा के समक्ष यह कहा गया कि अवैध निर्माण की सूचना कोई भी नागरिक दे सकता है, इससे किसी प्रकिया का कोई उल्लघंन नही होता है। नियत प्राधिकारी ने दिनांक 04.07.2016 को आदेश पारित करने के पूर्व विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत तथा अपीलांट द्वारा नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लिखित जबाव में उल्लिखित समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का विवेचन करने के उपरांत विधि संगत आदेश पारित किया, है।

कमशः पेज......13 पर

नियत प्राधिकारी एवं अपीलीय कार्यालय की पत्रावली, उभयपक्षों के तर्क, प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्था आदि के उक्तानुसार विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर नियत प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया था। नियत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.07.2016 को वाद संख्या 14/2013 सरकार बनाम श्री दीपक जी दास में समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य का विवेचन करने के उपरांत विधि संगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि स्थापित करने में अपीलांट सफल नही हुये है। उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि निर्माण ईसन नदी के बिल्कुल किनारे पर विधि विरूद्ध तरीके से एवं महायोजना के भू–उपयोग प्रस्ताव के विपरीत किया गया है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होती है। अपीलांट द्वारा हर स्तर पर योजनाबद्ध कपट पूर्ण प्रकिया अपनाते हुये निर्माण कियां गया है। नियंत्रक प्राधिकारी सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश हुआ कि अपीलांट नियत प्राधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि स्थापित करने में असफल रहे हैं। नियत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अपील वास्तविक तथ्यों के विपरीत एवं बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

30/8/19
(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र/
जिलाधिकारी, मैनपुरी।

Court No. - 6

Case :- WRIT - C No. - 34256 of 2019

Petitioner :- St. Mary S School Ashram Road Mainpuri And Another
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Anurag Dubey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prashant Tiwari

Hon'ble Yashwant Varma,J.

The petitioners administer an educational institution which is affiliated with CBSE. It is stated to impart education up to the 12th standard to as many as 3800 students. The orders impugned have been passed under the provisions of the U.P. Regulations of Building Operation Act 1958 ["the 1958 Act"]. There is a serious and disturbing question with respect to the manner in which the educational institution is alleged to have come up. It is the admitted case of the petitioner that he had applied for sanction of a map for establishment of a dairy. Though that map was sanctioned, the dairy never came to be established. In its place, the present educational institution was constructed and is being run. The respondents in the impugned order allege that the construction has been raised in an area which is marked for a Green Belt and on the banks of a river, thus falling in an area which is flood prone. It is also alleged that no sanction or permission was obtained for the purpose of construction and establishment of an education institution. The findings so recorded are assailed by Sri Tiwari, learned counsel who contends that till date no Zonal Plan has been prepared for the area which may indicate or establish that the situation of the institution is in a Green Belt. He further submits that the allegations that the institution is in a flood prone area, is incorrect. He has referred to some photographs and other materials in the course of oral submissions to submit that no river exists adjacent to the institution at present and that the allegation that the structural safety of the building is at risk is clearly incorrect.

From the recordal of the facts, the Court notes that the undisputed position which emerges is that no sanction was obtained for the purposes of construction of an educational institution. That leaves the Court no alternative but to assume that no evaluation with respect to its structural safety, fire safety and other

S.D.M. (CITY)

applicable building norms was undertaken. At least no such material has presently been placed on the record. The Court however at this stage is constrained to place in the balance the interest of 3800 students as well as their safety and security. On the other hand, if the orders of demolition were to be permitted to operate, it would be clearly put their education in jeopardy. However and at the same time, the Court cannot lost sight of the fact that a three storey structure which is presently being used as a school for 3800 students, has been permitted by the respondents to come up over a period of time without any exercise of diligence and scrutiny having been undertaken. Consequently, the following interim directions are hereby issued.

The Prescribed Authority as well as the District Magistrate who acts in the capacity of the Controlling Authority under the provisions of the 1958 Act, shall jointly constitute a team of qualified engineers and other allied staff which shall inspect the building in question and submit a report with respect to its structural safety and it being in compliance with other applicable building norms. The building shall also be inspected from the angle of fire safety since it is being run as an educational institution. Since the institution is stated to be closed for Diwali vacations between 26 to 29 of October 2019, it would be expedient that this exercise is concluded while the institution is still shut, so that the activities of the students are not hindered or hampered. The report may thereafter be placed on the record of this writ petition on or before the next date fixed.

Include in the additional cause list of 11 November 2019. Till that date, the respondents are restrained from taking any further steps for demolition of the structure in question.

Order Date :- 24.10.2019
Vivek Kr.

S.D.M (CITY)

कार्यालय नियत प्राधिकारी/ उप जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी।

वाद संख्या- 06 दिनांक 28.01.2019 धारा- 10 उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958

सरकार बनाम श्रीमती विजय कुमारी पत्नी श्री सतीशचन्द्र यादव, नि0- 05/378, आवास विकास मैनपुरी। ग्राम- अकुड़ोइया, तह0 व जिला मैनपुरी।

-:निर्णय:-

अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी द्वारा दिनांक 28.01.2019 को श्रीमती विजय कुमारी पत्नी श्री सतीशचन्द्र यादव, नि0- 05/378, आवास विकास मैनपुरी द्वारा शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग निकट ईसन नदी पुल, गाटा सं0 75, मौजा अकडोइया मैनपुरी देहात, तहसील व जिला मैनपुरी में निर्मित बहुमंजिल व्यवसायिक भवन के भूतल से पाँच मंजिल तक भवन के सम्बंध में प्रपत्र-"घ" अनाधिकृत निर्माण के सम्बंध में प्रतिवेदन देते हुए निर्माणकर्ता के विरुद्ध उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत "कारण बताओ नोटिस" (प्रपत्र-ख) जारी करने की संस्तुति की गयी। अवर अभियंता की प्रतिवेदन आख्या के आधार पर "कारण बताओ नोटिस" संख्या- 06 वि0क्षे0 मैनपुरी/2019 दिनांक 28.01.2019 निर्माणकर्ती के विरुद्ध निर्गत करते हुए सुनवाई की तिथि दिनांक 20.02.2019 नियत की गयी। "कारण बताओ नोटिस" (प्रपत्र-ख) निर्माण कर्ती के पते पर पंजीकृत डाक से दिनांक 06.02.2019 को भेजा गया तथा व्यक्तिगत रूप से संसूचित करके कार्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को नोटिस तामील कराया गया। नियत तिथि 20.02.2019 पर निर्माणकर्ती सुनवाई के समय उपस्थित हुई तथा लेखित प्रार्थना-पत्र देकर अपने जवाब दावा में बताया गया कि उन्होंने वाणिज्यिक विकास शुल्क जमा करके मानचित्र संख्या 493 में दिनांक 16.08.2012 को भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन का निर्माण कराया था। जवाबदावा के साथ भवन निर्माण अनुज्ञा का स्वीकृति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी प्रेषित की गयी थी। पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 20.02.2019 को सुनवाई सम्पन्न नहीं हुई तथा सुनवाई के लिए तिथि 13.03.2019 नियत की गयी। दिनांक 13.03.2019 को निर्माणकर्ती उपस्थित रही लेकिन पीठासीन अधिकारी के आवश्यक कार्य से मुख्यालय से बाहर होने के कारण सुनवाई न हो सकी तथा आगामी सुनवाई तिथि 25.03.2019 की गयी। इसी प्रकार सुनवाई की तिथि 04.04.2019, 17.04.2019, 24.04.2019, 30.04.2019, 14.05.2019, 24.05.2019 व 26.06.2019 नियत की गयी, लेकिन नियत तिथियों पर प्रतिवादी अनुपस्थित रही हैं। अन्तिम तिथि दिनांक 03.07.2019 के लिये नियत की गयी। आज दिनांक 03.07.2019 को सुनवाई के समय प्रतिवादी अनुपस्थित है। कार्यालय की उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अवर अभियंता की प्रतिवेदन आख्या का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं-

नियत प्राधिकारी/एस०डी०एम० मैनपुरी (उ०प्र०) कार्यालय विनियमित क्षेत्र मैनपुरी

1- श्रीमती विजय कुमारी का व्यवसायिक भवन गाटा सं0 75, मौजा अकडोइया, तह0 व जिला मैनपुरी शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग के किनारे ईसन नदी पुल के निकट बहुमंजिल में निर्मित है। भवन लगभग 80" x100" माप में भूतल से पाँच मंजिल तक निर्मित है। अवर अभियंता की प्रतिवेदन आख्यानुसार भवन वर्तमान भौतिक स्वरूप में विद्यमान है।

2- अवर अभियंता की प्रतिवेदन आख्या के साथ प्रेषित विवरणों में उल्लेख किया गया है कि सहयुक्त नियोजक महोदय, आगरा सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यालय पत्रांक 818/नि0प्र0/आगरा खण्ड/2017-18 दिनांक 26.05.2017 में दी गयी सूचना के क्रम में शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग मैनपुरी महायोजना 2001 में 30 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित की गयी है। मार्गाधिकार सुरक्षित रखने के बाद खसरा संख्या 75, मौजा अकडोइया का भू-उपयोग मैनपुरी महायोजना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। जहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

3- सहयुक्त नियोजक आगरा से प्राप्त सूचना पत्रांक 818/नि0प्र0/आगरा खण्ड/2017-18 दिनांक 26.05.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्माणकर्ता को कार्यालय से पत्रावली संख्या 493 में दी गयी स्वीकृति दिनांक 16.08.2012 मैनपुरी महायोजना 2001 के निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत है। स्थल महायोजना के प्रस्तावों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत है, जबकि स्थल पर व्यावसायिक भवन निर्मित कराया गया है।

4- "कारण बताओ नोटिस" की प्रथम सुनवाई की तिथि पर प्रेषित जवाब दावा में केवल भवन निर्माण अनुज्ञा की स्वीकृति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ही प्राप्त करायी गयी है। विस्तृत प्रस्तावों का स्वीकृत मानचित्र नहीं दिया गया है।

5- भवन निर्माण लगभग 80" x100" माप में भूतल से पाँच मंजिल तक व्यावसायिक रूप में निर्मित है। सभी मंजिलों का आच्छादित क्षेत्रफल पृथक-पृथक मंजिल का आच्छादित क्षेत्रफल जोड़कर 250वर्गमी0 से अधिक है। उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) नियमावली 1985 के नियम 12(7) के प्राविधानानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा तन्निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत नाम निर्देशिती द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद ही स्वीकृति नियत प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

6- अवर अभियंता ने अपनी आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सहयुक्त नियोजक आगरा, जोकि 250वर्गमी0 से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल के प्रस्ताव पर प्राधिकृत अधिकारी एन0ओ0सी0 देने के लिए नामित हैं, के कार्यालय से इस निर्माण पर अनापत्ति नहीं दी गयी है।

7- श्रीमती विजय कुमारी का बहुमंजिल भवन कार्यालय से स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप नहीं है। उक्त के कारण ही स्वीकृत मानचित्र निर्माणकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं कराया जा रहा है।

8- कार्यालय नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी के पत्रांक 1803/वि0क्षे0 मैनपुरी/2017-18 दिनांक 15.04.2017 द्वारा निर्माणकर्ता को लिखित पत्र निर्गत करके स्वीकृत मानचित्र पत्रावली संख्या 493 स्वीकृति दिनांक 16.08.2012 के अधीन दी गयी स्वीकृति का मानचित्र माँगा गया था। उक्त पत्र निर्माणकर्ता के एडवोकेट द्वारा दिनांक 18.04.2017 को कार्यालय से प्राप्त किया। पत्र में

कार्यालय नियत प्राधिकारी/एस0डी0एम0 मैनपुरी (उ0प्र0) विनियमित क्षेत्र मैनपुरी

स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्यालय की पत्रावली किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थिति में मूल अथवा छायाप्रति में निर्माण की जाँच के लिए स्वीकृत मानचित्र प्राप्त करायें।

9- कार्यालय की लिखित सूचना पर निर्माणकर्ता ने स्वीकृति प्रपत्र का प्रमाण-पत्र, विकास शुल्क जमा कराने की रशीद, आवेदन-पत्र व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराये, लेकिन स्वीकृत मानचित्र प्राप्त नहीं कराया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि स्वीकृत प्रस्तावों के विपरीत तथा स्वीकृत मानचित्र से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल में बहुमंजिल व्यवसायिक भवन निर्मित कराने के कारण ही मानचित्र माँगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10- अवर अभियंता की प्रतिवेदन आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यालय से कपट से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। सहयुक्त नियोजक आगरा से प्राप्त लिखित सूचना से स्पष्ट है कि स्वीकृति स्थल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सीमा में है। मानचित्र स्वीकृति से पूर्व विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया, जबकि ऐसा किया जाना अनिवार्य था। वस्तुतः मानचित्र स्वीकृति का दिनांक 16.08.2012 है जबकि विकास शुल्क जमा करने का दिनांक 28.09.2012 दर्शाया गया है। स्वीकृति नियम विरुद्ध एवं मैनपुरी महायोजना के प्रस्तावों के विपरीत दी गयी है, जिसके लिए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अतः भवन मानचित्र की पत्रावली संख्या 493 अन्तर्गत दिनांक 16.08.2012 को कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त की गयी स्वीकृति निरस्त किया जाना तथा व्यावसायिक सम्पूर्ण भवन सभी मंजिलों तक ध्वस्त कराया जाना विधि सम्मत होगा।

-:आदेश:-

उपरोक्त विवेचना के आधार पर गाटा संख्या 75, मौजा अकडोइया मैनपुरी देहात, तह0 व जिला मैनपुरी की सीमा अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग निकट ईसन नदी पुल मैनपुरी में निर्मित व्यावसायिक बहुमंजिल भवन की पूर्व में कपट के आधार पर दी गयी स्वीकृति मानचित्र संख्या 493 दिनांक 16.08.2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है तथा "कारण बताओ नोटिस" में वर्णित निर्माण को गिराने का आदेश पारित किया जाता है। निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रपत्र-ग "गिराये जाने का नोटिस" निर्गत किया जाए। निर्धारित समय सीमा में निर्माणकर्ता द्वारा व्यावसायिक भवन स्वतः ध्वस्त न कराने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय पद्धति से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। पत्रावली बाद अनुपालन दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 03.07.2019

3/7/19

(रजनी कान्त)
नियत प्राधिकारी /उप जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी

कार्यालय नियत प्राधिकारी/एस०डी०एम० मैनपुरी (उ०प्र०) विनियमित क्षेत्र मैनपुरी

(105)

"VERIFIED"
CNR Number 05/00/0192017
Details of Case 05, 00/17
24-9-20

UPMP050018192017

न्यायालय Civil Judge (Sr.Dr), Mainpuri

पीठासीन अधिकारी- (AMIT MISHRA), (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) -

UP02085

मूलवाद सं० – Original Suit/897/2017

मूल वाद संख्या-88/2017

विजय कुमारी वनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि

19.09.2020

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र 6 ग प्रस्तुत उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 6 ग पर बल देते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वादिया ने एक किता गाटा संख्या-75 रकवा 0.388 हैक्टेयर जो कि मौजा अकुड्इया परगना तहसील व जिला मैनपुरी में स्थित है, जिसकी चौहददी तरफ पूरब सड़क पुख्ता भोगांव शिकोहाबाद मार्ग पश्चिम पक्का सीसी रास्ता 14 फीट तरफ उत्तर भूमि सुखवीर व सुनील कुमार तरफ दक्षिण राजस्व ग्राम अकुडया भूखण्ड 75 में अन्य व्यक्ति की भूमि का बैनामा सुशील कुमार पुत्र श्री वीरराज सिंह निवासी डी0एन. नगर राधारमण रोड मैनपुरी व अजयराज सिंह पुत्र श्री चरन दास निवासी अवंध नगर शहर व जिला मैनपुरी से बैनामा दिनॉकित 26.08.2009 को वही संख्या-1 जिल्द संख्या-3412 पृष्ठ संख्या-149 से 166 पर क्रमांक 6590 निर्धारित प्रतिफल देकर अपने हक में कराया था। उक्त बैनामा के दिनांक से वादिनी मालिक काबिज व दखीलकार है। उक्त गाटा को न्यायालय उपजिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2004 को 143 एल.आर. एक्ट के तहत आबादी एवं व्यसायिक जमीन घोषित किया गया। उक्त भूमि आवासीय भूमि है जिस पर वादिनी ने कार्यालय नियत प्राधिकारी के कार्यालय को व्यवसायिक भवन बनाये जाने हेतु नक्शा पास कराने हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क जमा करके प्रस्तुत किया तथा नक्शा पास हो जाने के बाद नक्से के मुताबिक वादिनी द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण विधिवत नक्सा के आधार पर कराया गया तब से वादिनी बदस्तूर व्यवसायिक भवन का

इस्तेमाल करती चली आ रही है। उक्त निर्माण के बाद से अब तक करीब तीन वर्ष व्यतीत हो चुके है, किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा वादिनी को कोई नोटिस या किसी प्रकार की कार्यवाही आदि की सूचना नहीं दी गयी परन्तु विद्वेष पूर्ण तरीके से वादिनी व उसके पति से रजिश मानने वाले कुछ अराजक तत्वों ने बेजा वादिनी को तंग व परेशान करने की गरज से प्रशासन को गुमराह करके झूठे आरोप लगाते हुए प्रतिवादी संख्या-1 को झूठे तथ्यों को दिखाते हुए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 को जांच के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी संख्या-2 व 1 पूर्णरूपेण राजनीति से प्रेरित होकर वादिनी को नुकसान पहुंचाने के अभिप्राय से कुछ अराजक राजनैतिक तत्वों के इशारें पर जॉच कर वादिनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिस में है। वादिनी ने प्रतिवादीगण से हरचन्द कहा व कहलवाया कि भवन से सम्बन्धित सारी कागजात सम्बन्धित कार्यालयों में उपलब्ध है तथा सभी नियम व आदेशों के मुताबिक उक्त भवन का निर्माण कराया गया है परन्तु प्रतिवादीगण जानबूझकर वादिनी को तंग व परेशान करके भवन को तहस नहस कर खुर्द बुर्द कर देना चाहते है। वाद का कारण बिना किसी नोटिस दिये वादिनी के उक्त भवन पर प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 को दिये गये जांच आदेश से उत्पन्न हुआ जो कि माननीय न्यायालय की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत है , जिसे सुनने व निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन वादिनी के पक्ष में है तथा दौरान वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण की कोई हानि नहीं है जब कि जारी न होने से वादिनी की महान हानि व अपूर्तिनीय क्षति हो जावेगी। उपरोक्त कथनों के आधार पर वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तरिम व्यादेश निर्गत किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र 7 ग 2 प्रस्तुत किया गया ।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ग के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या- 25 क समर्थित शपथ पत्र 26 ग इन कथनों की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वादिनी द्वारा कराया गया कथित बैनामा गाटा संख्या-75 रकवा 0.388 हैक्टेयर मोजा अकुडुईया परगना तहसील व जिला मैनपुरी महज कृषि हेतु कराया गया था, इस बैनामा में उसके द्वारा यह कतई दर्शित नहीं किया गया है कि इस बाढ़ क्षेत्र वाली भूमि पर वह होटल अथवा शापिग माल का निर्माण करायेगी। उसके द्वारा शासन एवं प्रशासन को गुमराह करके अपनी राजनैतिक पहुँच का अनुचित लाभ उठाकर गलत

रूप से इस पांच मजिल भवन का निर्माण करा लिया है, चूँकि उक्त भूमि वाढग्रस्त क्षेत्र में स्थित में है इस कारण कभी भी कोई गमीर हादसा होने के प्रबल सम्भावना बनी रहेगी, जिससे भारी जनहानि होने की भी प्रबल सम्भावना हो सकती है। मैनपुरी महायोजना के अंतर्गत चिन्हित किए गये बाढ प्रभावित क्षेत्र में सभी प्रकार के स्थाई निर्माण को निषिद्व किया गया है, यह क्षेत्र केवल कृषि से सम्बन्धित व अनुसांगिक उपयोग एवं शमसान स्थल, कृषि सचालन हेतु अस्थायी आवास एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु ही प्रयोग किया जा सकता है। इन चिन्हित बाढ प्रभावित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यक भारी एवं वृहद उपयोग हानिकारण एंव संकटमय उद्योग स्थापित करने की स्पष्ट रूप से शासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गयी है और न कानूनन दी जासकती है और यदि विधि विरूद्व कोई आदेश हासिल भी किए गये है तो उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। वादिनी का व्यवसायिक भवन गाटा संख्या–75 मौजा अकुडुईया तहसील व जिला मैनपुरी शिकोहाबाद भोगांव मार्ग के किनारे ईसन नदी पुल के निकट वहुमजिंल निर्मित है, भवन लगभग 80 गुणित 100 फीट माप में भूतल से पॉच मंजिल तक निर्मित है तथा सह आयुक्त नियोजक आगरा, सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के आदेशानुसार शिकोहाबाद भोगांव मॉर्ग मैनपुरी महायोजना 2001 में तीस मीटर चैडाई में प्रस्तावित की गयी है। मार्गाधिकार सुरक्षित रखने हेतु वाद खसरा संख्या–75 मौजा अकुडुइया का भू उपयोग मैनपुरी महायोजना में वाढ प्रभावित क्षेत्र के अंतगर्त पड़ता है। जहॉ पर किसी प्रकार निर्माण अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त गाटा संख्या–75 मौजा अकडुईया परगना तहसील व जिला मैनपुरी मे भवन निर्माण लगभग 80 फुट गुणित 100 फुट माप में भूतल में पॉच मजिल तक व्यसायिक रूप से विधि विरूद्व निर्मित है, सभी मंजिली का आक्षादित क्षेत्रफल प्रथक प्रथक मंजिल का आक्षादित क्षेत्रफल जोड कर 250 वर्गमीटर से अधिक है, उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम नियमावली 1985 के नियम 12(7) के प्रावधानानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अनापित्त प्रमाण पत्र के बाद ही स्वीकृत नियम प्राधिकारी द्वारा जा सकती है जब कि वादिनी को ऐसा कोई अनापत्ति सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रदान ही नहीं की गयी है। वादिनी ने नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र मैनपुरी के न्यायालय में स्वीकृत प्रपत्र का प्रमाण पत्र, विकास शुल्क जमा रसीद आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराये लेकिन स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं कियां गया है जिससे यह स्पष्ट है कि स्वीकृत प्रस्तावों के विपरीत तथा स्वीकृत मानचित्र से अधिक

न्यायालय सिविल जज व सेशन जज मैनपुरी उत्तर प्रदेश

(107)

आक्षादित क्षेत्रफल में बहुमंजिल भवन निर्माण कराने के कारण ही मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वादिया द्वारा सम्बन्धित कार्यालय से कपटपूर्ण स्वीकृत प्राप्त नही की गयी जब कि ऐसा किया जाना अनिवार्य था, धारा-7क उत्तर प्रदेष (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अनुसार नियत प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ऐसी अनुमति किसी तात्विक दुव्पदेशन अथवा किसी कपटपूर्ण अभिकथन अथवा सूचना किए अथवा दिये जाने के फलस्वरूप प्रदान की गयी थी तो नियम प्राधिकारी अभिलिखित कारणों से ऐसी अनुमति के बिना किया गया समझा जायेगा। इससे स्पष्ट है किं वादिनी द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया गया। नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र मैनपुरी द्वारा दिनांक 03.07.2019 को आदेश पारित किया गया है कि उक्त व्यवसायिक भवन बहुमंजिल भवन कपट पूर्वक आधार पर दी गयी स्वीकृत मानचित्र संख्या-493 दिनांक 16.08.2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है तथा गिराने का आदेश पारित किया जाता है। नोटिस निर्गत किया जावे, निर्धारित समय सीमा में निर्माणकर्ता द्वारा व्यासायिक भवन स्वत ध्वस्त न कराने की स्थिति में निमयानुसार विभागीय पद्वति से कार्यवाही की जाये। वादिनी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाया गया है तथा वादिनी का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है तथा सुविधा सन्तुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थना पत्र 6ग वादिनी निरस्त किये जाने का निवेदन प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त कथनों के आधार पर किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या-29ग प्रस्तुत करते हुए पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति कागज संख्या-25 में वर्णित तथ्यों को पुनः वर्णित करते हुए कहा गया है कि वादिनी द्वारा कराया गया कथित बैनामा गाटा संख्या-75 रकवा 0.388 हेक्टेयर मौजा अकुड्इया परगना तहसील व जिला मैनपुरी महज कृषि कार्य हेतु कराया गया था, इस बैनामा में उसके द्वारा यह कतई दर्शित नहीं कया गया कि इस बाढग्रस्त क्षेत्र वाली भूमि पर वह होटल अथवा शापिग माल का निर्माण करायेगी, उसके द्वारा गलत रूप से पॉच मंजिल भवन का निर्माण कराया लिया गया है, चूँकि उक्त भूमि बाढ प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, इस कारण कभी भी कोई गम्भीर हादसा होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। जिससे भारी जनहानि होने की प्रबल सम्भावना हो सकती है। मैनपुरी महायोजना के अंतगर्त चिन्हित किए गये बाढ प्रभावित क्षेत्र में सभी प्रकार के स्थायी निर्माण की निषिद्व किया गया है, यह क्षेत्र कृषि सम्बन्धित व अनुसांगिक उग्योग एवं शमसान स्थल, कृषि संचालन हेतु अस्थायी

आवास एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इन चिन्हित बाढ प्रभावित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यक भारी एंव बृहद उद्योग हानिकारक एवं सकटमय उद्योग स्थापित करने की स्पष्ट रूप से शासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गयी और न कानूनन दी जा सकती है और यदि विधि विरूद्व कोई आदेश हासिल भी किए गये है तो उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादिनी का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन प्रतिवादीगण की ओर से किया गया।

वादिनी की ओर से कागज संख्या–३४ग२ प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

वादी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग में वर्णित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्द सबूत 10 ग 11 के माध्यम से प्रमाणित प्रति बैनामा दिनॉकित 26.08.2009 व प्रमाणित छाया प्रति बैनामा दिनॉकित 26.08.2009, प्रमाणित प्रति छाया प्रति बैनामा दिनॉकित 27.09.2012 प्रमाणित छाया प्रति बैनामा दिनॉकित 29.11.2012, पत्रांक 1803 कार्यालय नियत प्राधिकारी, पत्रांक छाया प्रति कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी दिनॉकित 12.04.2017 को प्रस्तुत किया गया। फर्द सबूत कागज संख्या–19 ग के माध्यम से एक किता असल बैनामा दिनॉकित 28.09.2012 सुग्रीव सिंह आदि वहक विजय कुमारी, एक किता असल बैनामा दिनॉकित 26.08.2019 सुषील कुमार आदि वहक विजय कुमारी, एक किता असल बैनामा दिनॉकित 26.08.2019 सुग्रीव सिंह आदि वहक विजय कुमारी, एक किता बैनामा असल दिनॉकित 28.11.2012 श्रीमती ममता देवी वहक विजय कुमारी, एक किता नकल प्रमाणित सूचना अधिकारी, एक किता फर्द असल को प्रस्तुत किया गया। फर्द सबूत 31 ग के माध्यम से छाया प्रति नोटिस प्रपत्र ग, छाया प्रति निर्णय नियत प्राधिकारी तथा प्रमाणित प्रतिलिपि अपील विजय कुमारी बनाम नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया।

वादिनी की ओर से फर्द सबूत ३६ग१ के माध्यम से एक किता प्रमाणित छाया प्रति करार कागज संख्या–३७ग१/१ लगायत ३७ग१/२२, विजय कुमारी वहक मैसर्स वी बाजार रिटेल, एक किता स्व प्रमाणित करार कागज संख्या–३७ग१/२३ लगायत ३७ग१/३६, विजय कुमारी वहक मनोज कुमार दिनांकित १५.०७.२०१७ एक किता करार पत्र कागज संख्या–३७ग१/३७ लगायत ३७ग१/४८ विजय कुमारी वहक पंजाब नेशनल बैक, पॉच किता विद्युत बिल को

दाखिल किया गया।

आदेश हेतु पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादी को निम्नलिखित तीन आवश्यक तत्व अपनें पक्ष में साबित करना अनिवार्य है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

प्रथम दृष्टया केस –

वादिनी नें प्रार्थना पत्र ६ग २ में यह कथन किया है कि गाटा सं. ७५ रकवा ०.३८८ हे० का बैनामा उसके द्वारा विक्रेतागण से अपनें पक्ष में कराया गया था। जिसके आधार पर वह विवादित भूमि गाटा सं. ७५ पर मालिक काबिज व दखील है। इस हेतु वादिनी द्वारा फर्द सबूत २० ग १ से असल बैनामा प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र ६ग २ के पैरा २ में वादिनी नें यह आधार लिया है कि उक्त भूमि को धारा १४३ उ.प्र. जमीदारी उनमूलन व भूमि सुधार अधिनियम में आबादी घोषित कराया गया था। उक्त आदेश की छायाप्रति १०ग/५० पत्रावली में उपलब्ध है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति २५क२ के पैरा ३ में वादिनी द्वारा बैनामा किया जाना स्वीकार किया गया है हालांकि प्रतिवादी नें यह आपत्ति की है कि इस बैंनामें में वादिनी नें यह कहीं दर्शित नहीं किया था कि वह होटल या शॉपिंग मॉल का निर्माण करायेगी । वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेज से प्रथम दृष्टया वादिनी उपरोक्त भूमि की स्वामिनी प्रतीत होती है। जहाँ तक भूमि के सम्बन्ध में यह उल्लेख किये जाने का प्रश्न है कि वादिनी उक्त भूमि व्यसायिक कार्य करेगी या नहीं , यह सम्पत्ति अन्तरण के आवश्यक तत्वों में नहीं आता है।

वादिनी नें प्रार्थना पत्र ६ग२ के पैरा ३ में यह कथन किया है कि उसके द्वारा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र जनपद मैनपुरी /उप जिलाधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि पर व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जाना है। जिसके अनुक्रम में वादी के अनुसार उक्त भूमि के संदर्भ में व्यवसायिक निर्माण किये जानें हेतु नक्शा सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा पास कर दिया गया है। वादिनी नें इसके लिये निर्धारित शुल्क विनियमित क्षेत्र के खाते में जमा किये जानें का कथन भी किया है । वादिनी द्वारा इसके लिये १०ग१/४९ छायाप्रति रसीद प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार दिनांक ०२.१२.२००९ को १००५

रू० व २८.०९.२०१२ को ८४४३३रू० विनियमित क्षेत्र के खाते में जमा किये गये है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र छायाप्रति १०ग१/५२ पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया जिसके अनुसार वादिनी द्वारा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के समक्ष विकाश शुल्क जमा किये जानें हेतु समय याचना की गयी जिस पर नियत प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुये वादिनी को ०२ माह का समय उक्त शुल्क अदा किये जानें हेतु प्रदान किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया वादिनी द्वारा नियमतः ससमय आवश्यक धनराशि अदा की गयी व नक्शा पास कराया गया। वादिनी नें एक अन्य दस्तावेज १०ग१/५१ प्रस्तुत किया है जिसमें भवन निर्माण अनुज्ञा का स्वीकृत प्रमाण पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया तथा वादिनी को स्वीकृत मानचित्र अनुसार भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रतिवादी द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि वादिनी द्वारा उक्त नक्शा प्रशासन को गुमराह करके व राजनैतिक पहुँच से उक्त निर्माण कराया गया है तथा उक्त निर्माण बाढ ग्रस्त क्षेत्र में है। अतः उक्त निर्माण अवैध है। जिसके सम्बन्ध में वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादिनी द्वारा जब उचित धनराशि नियत समय में विनियमित क्षेत्र के खाते में जमा कराया गया और उसके अनुक्रम में विनियमित क्षेत्र द्वारा व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु नक्शा पास कराया गया । उक्त नक्शा पास करनें से पूर्व प्रतिवादी द्वारा वादी को क्यों अवगत नहीं कराया गया। इसके सम्बन्ध में मैं यह विचार रखता हूँ कि विनियमित क्षेत्र के समक्ष यह पूर्ण अधिकार था कि वह उक्त भूभाग का परीक्षण कर तदनुसार उचित कार्यवाही करता । यदि उक्त भूभाग बाढ ग्रस्त क्षेत्र में आता है तो ऐसी दशा में से किन कारणों से उक्त नक्शा पास किया गया समझ से परे है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति में यह आधार लिया गया है कि सहयुक्त नियोजक आगरा सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के आदेशानुसार शिकोहाबाद भोगॉव मार्ग मैनपुरी महायोजना २००१ में ३० मी० चौडाई में प्रस्तावित की गयी है। मार्ग अधिकार सुरक्षित रखनें के बाद गाटा सं. ७५ का प्रयोग मैनपुरी महायोजना में बाढ प्रभावित क्षेत्र में आता है जहां किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा इस आशय की कोई पैमाइशी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त भूभाग बाढ ग्रस्त क्षेत्र में आता था तो सहयुक्त नियोजक आगरा सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग

द्वारा नियत प्राधिकारी को इस आशय की सूचना ससमय क्यों नहीं दी गयी। जैसा कि पंत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का व्यवसायिक नक्शा १६.०८.२०१२ को स्वीकृत हुआ था किन्तु आदेश नियत प्राधिकारी ३२ग१/३ के पैरा २ के अनुसार सहयुक्त नियोजक आगरा सम्भागीय नियोजन खण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग से इस आशय की सूचना कि उक्त भूभाग बाढ ग्रस्त क्षेत्र में आता है पत्रांक सं. ८१८/नि.प्र./आगरा खण्ड /२०१७-१८ दिनांक २६.०५.२०१७ को प्राप्त हुई थी। अत: ऐसे दशा में जब नक्शा २०१२ में स्वीकृत हुआ तो २०१७ में ५ वर्ष बाद इतने विलम्ब से सूचना प्रेषित करनें का क्या कारण था स्पष्ट नहीं किया गया है। वादिनी के अनुसार इन ५ वर्षों में उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण करके व्यवसाय किया जा रहा है।

प्रतिवादी की आपत्ति २५क के पैरा ७ में यह आधार लिया गया है कि उ.प्र. निर्माण एंव विनियम नियमावली १९८५ के नियम १२ (७) के अनुसार उक्त व्यवसायिक भवन की माप के अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र. या उनके द्वारा प्रधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करनें के उपरान्त ही स्वीकृति नियत प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है जब कि वादिनी को ऐसी कोई अनापत्ति सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है। इसके सम्बन्ध में मैं यह विचार रखता हूँ कि नियत प्राधिकारी द्वारा स्वयं इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। यदि वादिनी द्वारा सम्यक रूप से नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था तो तत्काल नियत प्राधिकारी को स्वीकृत नक्शा निरस्त कर देना चाहिए था, किन्तु जब उक्त भूमि पर व्यवसायिक भवन का निर्माण हो रहा था तब न तो नियत प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्माण को रोके जानें हेतु कोई आदेश पारित किया गया औरं न ही उक्त निर्माणशुदा भवन को सील करनें की कार्यवाही की गयी जिसके लिये नियत प्राधिकारी विधित: सक्षम थे।

प्रतिवादीगण द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि वादिनी द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है। जब कि प्रार्थना पत्र १०ग१ /४७ तथा रसीद १०ग१/४९ से यह स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा विनियमित क्षेत्र के खाते में विकास शुल्क जमा कराया गया था। प्रतिवादी के अनुसार धारा ७क उ.प्र. निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम १९५८ के अनुसार सिविल न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके सन्दर्भ में वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि इस वाद से नियत प्राधिकारी के किसी भी आदेश को

चुनौती नहीं दी जा रही है बल्कि स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचन की जा रही है जिसे प्रदान करनें के लिये सिविल न्यायालय सक्षम है। इस विन्दु पर मैं यह विचार रखता हूँ कि इस स्तंर पर क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रश्न का अवधारण नहीं किया जा सकता । भविष्य में क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर सुनवाई की जा सकती है। इस स्तर पर केवल अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र के सम्बन्ध में ही आदेश पारित कियां जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **गुजरात बाटलिंग कम्पनी लिमिटेड बनाम कोका कोला कम्पनी ए.आई.आर १९९५ एस.सी. २३७२** के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी करते समय न्यायालय को पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखना चाहिए । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा प्रथम दृष्टया नियमतः आवेदन प्रस्तुत करकें नियत प्राधिकारी के समक्ष शुल्क अदा करके मानचित्र स्वीकृत कराया गया। यह साक्ष्य का विषय है कि उक्त स्वीकृत कपट से प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? पत्रावली में साक्ष्य आना बाकी है । उपरोक्त दिवेचना के आधार पर वादिनी का प्रथम दृष्टया केस बनता है।

<u>अपूर्णीय क्षति</u>

वादी द्वारा यह अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि यदि अनुतोष उसे नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

वादी द्वारा यह फर्द सबूत 36ग2 से एक किता अनुबन्ध पत्र 38ग दिनॉकित 15.09.2017 वहक मनोज कुमार , एक किता अनुबन्ध पत्र पंजाब नेशनल बैंक दिनॉकित 23.05.2018 को प्रस्तुत किया गया, अद्यतन विद्युत बिल प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादिया उक्त व्यावसायिक भवन में व्यवसायिक कार्य कर रही है तथा वादियॉ द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ भी व्यवसायिक करार किया गया है, जिसके अनुक्रम में विधादित भवन में व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है।

प्रतिवादीगण के आचारण के आधार पर विश्वास करते हुए वादिया द्वारा व्यवसाय किये जाने हेतु अन्य व्यक्तियों से व्यवसायिक कराकर कर लिये गये है अब जब कि नियत प्राधिकारी द्वारा व्यवसायिक भवन का मानचित्र खारिज कर दिया गया है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है क्योकि विवादित भवन ध्वस्त किये जाने से वादिया को व अन्य व्यक्तियों से जिनसे वादिया ने करार किया

गया है, को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **भगवत प्रसाद बनाम जितेन्द्र नारायण व अन्य १९९१ ए.एल.जे. ९७१** लागू होती है । जिसके अनुसार वादिनी प्रथम दृष्टया विवादित भवन पर काबिज प्रतीत होती है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये विद्युत बिल आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में वादिनी का प्रथम दृष्टया कब्जा है।

अतः मेरी राय मे यदि वादिनी को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया गया तो उसे भारी आर्थिक क्षति हो सकती है।

सुविधा का सन्तुलन

न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह परीक्षण किया जाना अनिवार्य है कि क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है अथवा प्रतिवादी के पक्ष में है ?

वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजीय साक्ष्य 18ग1/2 का परिशीलन किया गया। यह दस्तावेजीय साक्ष्य मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी द्वारा जिलाधिकारी मैनपुरी को आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है, जिसके पैरा-3 में यह कथन किया गया है कि उक्त पत्र के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा उनके सलंग्र पत्र संख्या -1805/एस.टी. दिनांक 25 अप्रैल 2017 द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया है कि उक्त भवन श्रीमती विजय कुमारी पत्नी श्री सतीश चन्द्र यादव निवासी 5/378 आवास कालौनी मैनपुरी का है। विनियमित क्षेत्र, मैनपुरी क कार्यालय से निर्माण स्थल का प्लान मानचित्र, पत्रावली संख्या-493 अन्तर्गत दिनांक 16.08.2017 को स्वीकृत किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। यह स्थल खाता संख्या-108 गाटा संख्या-75 क्षेत्रफल 0.388 हैक्टेयर ग्राम अकड़इया देहात परगना तहसील व जनपद मैनपुरी में भूमिधरी आराजी है। डूब क्षेत्र में कोई गाटा अंकित नहीं है। उक्त गाटा का कुछ भाग आबादी है अभिलेखों में यह डूब क्षेत्र नहीं है 'बल्कि भूमिधरी है।''

उपरोक्त आख्या से यह स्पष्ट होता है मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में उक्त विवादित गाटा के डूब क्षेत्र/बाढग्रस्त क्षेत्र में होने का कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। इसी आख्या में नहर विभाग ने भी ऐसा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह पता चलता हो कि विवादित स्थल वाढग्रस्त या डूब स्थल में अंकित हो। इस आख्या में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि इस क्षेत्र की स्थिति का आकलन विनियमित क्षेत्र/राजस्व विभाग से ही हो सकता

है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई भी पैमायशी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता कि विवादित स्थल का कोई भाग डूब क्षेत्र में है और वाढ क्षेत्र में आता है। प्रतिवादीगण ने वादी पर यह भी आरोप लगाया गया हैं कि वादी द्वारा कपट पूर्वक मानचित्र स्वीकृत कराया है। यहाॅ पर यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि कपट साक्ष्य का विषय है। इसे साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता हैं कि उक्त मानचित्र कपट से स्वीकृत कराया गया अथवा नहीं ?

उपरोक्त विववेचना के आधार पर मेरे राय में सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में ना कि प्रतिवादीगण के पक्ष में।

वादी द्वारा दौरान बहस यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी इस पत्रावली में साक्ष्य को प्रभावित करने के आशय से मानचित्र की पत्रावली जो कि नियत प्राधिकारी के कार्यालय विनियमित क्षेत्र में संरक्षित थी, जिसे गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह से वादी को हानि हुई है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत की है जो कि अपराध संख्या–120/2019, दिनाॅकित 13.02.2019 अन्तर्गत धारा–409 भा.द.स. थाना कोतवाली, मैनपुरी बनाम श्री हरमुखराम यादव के विरूद्व दर्ज करायी गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **दि केरला स्टेट कोस्टल जोन मैनजमेन्ट अथारिटी बनाम दि स्टेट ऑफ केरला मरादू म्यूनिसिपालिटी व अन्य , सिविल अपील संख्या–४७८४–४७८५/२०१९** प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त विधि व्यवस्था के आधार पर वादी का प्रा. पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी। मैंने उक्त विधि व्यवस्था का सादर अवलोकन किया । प्रतिवादी को उक्त विधि व्यवस्था का लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी उक्त मानचित्र स्वीकृत करने के विधितः सक्षम थे यदि वादिनी का प्रस्ताव मैनपुरी महा योजना के अनुरूप नहीं था तो उन्हें उक्त मानचित्र स्वीकृत नहीं करना चाहिए था। यदि मानचित्र स्वीकृत कर भी दिया गया हो तो तथ्यों की जानकारी होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। नियत प्राधिकारी का आचरण विबन्ध के सिद्वान्त से वाधित है।

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जाना अनिवार्य है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आया है कि नहीं ?

इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई तात्विक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादियाॅ स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं

आयी है। उपरोक्त आधार पर वादिनी का प्रथम दृष्टया केस साबित है। सुविधा का सन्तुलन वादिनी के पक्ष में है। यदि वादिनी को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष उसे प्रदान नहीं किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी ऐसी स्थित में प्रार्थना पत्र 6 ग वादिया स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ६ग२ स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को द्वारा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि इस वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भवन जो कि गाटा संख्या-७५ रकवा ०.३८८ हैक्टेयर राजस्व ग्राम अकडईया परगना व तहसील, जिला मैनपुरी में स्थित है, को न तोड़े, न ध्वस्त करें और ना ही वादिनी के उक्त भवन में शातिपूर्ण कब्जा दखल में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करे। पत्रावली दिनांक ०५.१०.२०२० को वास्ते तनकी पेश हो।

(अमित मिश्रा) 19/09/20
सिविल जज (प्रवर वर्ग)
मैनपुरी।

Rajneesh Tripathi

Advocate, High Court
Chamber No.: 7, High Court, Allahabad
Resi./Off.: 83L/40B, Nyay Nagar, Kandhaipur Mod
(Near Man Tulsi Vatika), Dhoomanganj, Allahabad
Mobile: 9415609290, E-mail: rajneeshgoal0@gmail.com

Misc. Petition C/S 227 NO. 6096 OF 2021

GROUP C

DISTRICT Mainpuri

Smt. Urmila Kumari and others

VERSUS

State of U.P. and others

COPY OF ORDER DATED 18/11/21

CANCELLED

CANCELLED

S.D.M (CITY)

Case :- MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 6096 of 2021

Petitioner :- Smt. Vijay Kumari
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Pramod Kumar Sinha,Rajneesh Tripathi
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Ajit Kumar,J.

Heard learned counsel for the petitioner and perused the record.

The contention advanced by learned counsel for the petitioner is that the constructions over and above the land in question had been carried out by the petitioner after the land was duly purchased from the original tenure holder and land user change applied for under Section 143 of the U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950 from the agricultural to non agricultural having been allowed by Sub-Divisional Magistrate, Mainpuri on 2nd January, 2004, which order remained unchallenged. It is further submitted that thereafter the petitioner applied for sanction of the map for constructions of the building in question under the U.P. (Regulation of Building Operation) Act, 1958 and the prescribed authority, namely, Sub-Divisional Magistrate, Mainpuri passed an order sanctioning the map on 16th August, 2012 and thereafter building was constructed within the prescribed period of three years and ever since thereafter the petitioner is enjoying the building in question. However, it is on some private complaint, the authority proceeded to question the constructions and resultantly before drawing the proceedings under the U.P. (Regulation of Building Operation) Act, 1958, the petitioner instituted a suit for permanent prohibitory injunction in the year 2017 and in which after hearing the parties concerned the 6-C application came to be allowed.

It is next submitted that the said order has come to be challenged in Misc. appeal by the defendants respondents on the ground that suit proceedings were not maintainable against the action taken under the order of U.P. (Regulation of Building Operation) Act, 1958 and the court sitting in appeal has set aside the order of temporary injunction.

The argument advanced by learned counsel for the petitioner is that after the map was duly sanctioned and constructions had been carried out and even before drawing the proceedings under the U.P. (Regulation of Building Operation) Act, 1958 the petitioner instituted the suit and the reports were called for by

S.D.M. (CITY)

the Amin Commissioner as well as Engineer concerned, the respondents have proceeded only to defeat the suit proceedings by drawing proceedings under the U.P. (Regulation of Building Operation) Act, 1958. He next argued that this act and conduct on the part of the respondent authority is tainted and *mala fide* as the proceedings were on a private complaint.

It is further submitted by learned counsel for the petitioner that the petitioner is not averse to the jurisdiction issue to be framed and decided as preliminary issue *qua* maintainability of the suit as well as the application, if any filed under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908.

Upon perusal of the various documents brought on record and the pleadings raised and the order impugned, *prima facie*, I find substance in the arguments advanced by learned counsel for the petitioner and the matter requires consideration.

Let the notices be issued to the respondents, returnable within eight weeks.

Steps for service be taken within two weeks.

List on the date indicated in the notice.

In the meanwhile until further orders of this Court, the effect and operation of the order passed by the District Judge, Mainpuri in Misc. Appeal No.- 7 of 2020 dated 20th October, 2021 shall remain stayed.

However, it is provided that it will be open for the contesting respondents to move an appropriate application either under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908 or for framing jurisdiction issue as preliminary issue for its disposal, if they are so advised and pendency of this petition will not deter the civil court from proceeding further in the suit.

Order Date :- 8.11.2021
Atmesh

S.D.M (CITY)

विनियमित क्षेत्र मैनपुरी द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त नदी से 50–50 मीटर की सीमा में किये गये अवैध निर्माण/विना मानचित्र पास कराये बनाये गये भवन स्वामियों को जारी किये नोटिस की सूची।

क्रमांक	नोटिस जारी दिनांक	नोटिस जारी क्रमांक	भवन स्वामी का नाम व पता
01	02	03	04
01	05.06.2025	01	श्रीमती मंजुलमुखी पत्नी मलिखान सिंह निवासी पुल के पास जेल रोड मैनपुरी (निकट नया नगला) मैनपुरी
02	05.06.2025	02	श्री राजीव कुमार पुत्र नित्यप्रकाश ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
03	05.06.2025	03	श्रीमती गीतादेवी पत्नी मानसिंह ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
04	05.06.2025	04	श्री दीपू (जाटव) ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
05	05.06.2025	05	श्रीमती ममता देवी पत्नी महावीर सिह ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
06	05.06.2025	06	श्री समरपाल पुत्र गंगाराम ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
07	05.06.2025	07	श्रीमती वेदवती पत्नी हीरालाल ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
08	05.06.2025	08	श्री सुखदेव राठौर पुत्र बाबूराम ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
09	05.06.2025	09	श्री कमलदीप पुत्र कुँवर सिंह ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
10	05.06.2025	10	श्रीमती रामादेवी पत्नी भँवरपाल सिंह ईसन नदी के पास जेल रोड, (निकट नया नगला) मैनपुरी
11	11.06.2025	11	श्री पूरन सिंह पुत्र नवावसिंह एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
12	11.06.2025	12	श्री नीतेश कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिह एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
13	11.06.2025	13	श्री मोहरपाल सिह पुत्र रामप्रकाश एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
14	11.06.2025	14	श्री रामजीत पुत्र बेचेलाल एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
15	11.06.2025	15	श्री नगेन्द्र सिह पुत्र महेश सिंह आदर्श नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
16	11.06.2025	16	श्री शिवम कुमार पुत्र दीनदयाल आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
17	11.06.2025	17	श्री वन्टू पुत्र दीनदयाल आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
18	11.06.2025	18	श्री विवेक कुमार पुत्र मोहरपाल आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
19	11.06.2025	19	श्रीमती राजवती पत्नी अनिल कुमार आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
20	11.06.2025	20	श्रीमती भावना दुवे पत्नी अवधकिशोर आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
21	11.06.2025	21	श्रीमती मीना देवी पत्नी वालेश्वर सिंह आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
22	11.06.2025	22	श्रीमती ललिता राजपूत पत्नी दिनेश कुमार आर्दश नगर कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी।
23	13.06.2025	23	श्रीमती ज्योति पुत्री सूरज सिंहएडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
24	13.06.2025	24	श्री राधाकिशन पुत्र एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
25	13.06.2025	25	श्री मेघनाथ पुत्र वेदराम एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
26	13.06.2025	26	श्री भगवान सिंह पुत्र सरदार सिह एडवोकेट कालोनी दीवानी रोड मैनपुरी
27	13.06.2025	27	श्री कृष्ण कुमार पुत्र आदेश कुमार शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
28	13.06.2025	28	श्री प्रदीप पुत्र श्री थानसिंह शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
29	13.06.2025	29	श्रीमती रजनी प्रभा पत्नी अखलेश सिंह शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
30	13.06.2025	30	श्री प्रवेश कुमार पुत्र मानसिंह शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
31	13.06.2025	31	श्री पंचम सिंह पुत्र कामता सिंह शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
32	13.06.2025	32	श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूदयालशहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
33	13.06.2025	33	श्री रामनाथ पुत्र हाकिम सिंह शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
34	13.06.2025	34	श्रीमती शोभा राजपूत पत्नी शिवकुमार शहीद आदेश नगर कुरावली रोड मैनपुरी।
35	13.06.2025	35	श्रीमती उमादेवी पत्नी अशोक चॉदेश्वर रोड गली नं0–1 वी वजार मैनपुरी।
36	13.06.2025	36	श्री सुशील कुमार पुत्र रामसेवक चॉदेश्वर रोड गली नं0–1 वी वजार मैनपुरी।
37	13.06.2025	37	श्रीमती मिथलेश पत्नी रविन्द्र सिंह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
38	13.06.2025	38	श्री विनोद कुमार पुत्र रंगलाल अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
39	13.06.2025	39	श्रीमती सविता जैन अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
40	13.06.2025	40	श्री रंजीत पुत्र रंगलाल अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
41	13.06.2025	41	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी करन सिंह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
42	13.06.2025	42	श्री बण्टू पुत्र सूरज सिह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
43	13.06.2025	43	धमेन्द्र सिंह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
44	13.06.2025	44	श्री सुशील पुत्र यादराम अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
45	13.06.2025	45	श्रीमती अल्का पत्नी अनमोल अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
46	13.06.2025	46	श्री राजीव चौहान पुत्र उमेश सिंह चौहान अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
47	13.06.2025	47	श्रीमती वीना कश्यप पत्नी वृजेश सिह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
48	13.06.2025	48	श्रीमती संध्या चौहान पत्नी प्रमोद चौहान अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
49	13.06.2025	49	श्री लक्ष्मन सिंह अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
50	13.06.2025	50	श्री अवधेश सिंह पुत्र रामप्रकाश अवन्ती वाई नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।

51	04.07.2025	51	श्रीमती ममता यादव निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
52	04.07.2025	52	श्रीमती मीनादेवी पत्नी सुभाषचन्द्र निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
53	04.07.2025	53	श्रीमती लोगश्री पत्नी वलवीर सिह निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
54	04.07.2025	54	श्रीमती ऊषा देवी निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
55	04.07.2025	55	श्री संजय कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
56	04.07.2025	56	श्री जय कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
57	04.07.2025	57	श्री कैलाश निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
58	04.07.2025	58	श्रीपाल पुत्र दलेल सिंह निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
59	04.07.2025	59	श्री भानुप्रताप सिंह निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
60	04.07.2025	60	श्रीमती श्री देवी पत्नी रघुवीर सिंह निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
61	04.07.2025	61	श्री संजय कुमार पुत्र रामनरेश निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
62	04.07.2025	62	श्री अन्नू दीक्षित पुत्र राजेश दीक्षित निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
63	04.07.2025	63	श्रीमती नन्दनी सक्सेना पत्नी लंकुश सक्सेना निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
64	04.07.2025	64	श्री संजय शर्मा पुत्र मुकेश कुमार निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
65	04.07.2025	65	श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
66	04.07.2025	66	श्रीमती मजुलाल सक्सेना पत्नी राजाराम सक्सेना निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
67	04.07.2025	67	श्री सुशील कमार निवासी अवन्ती नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
68	04.07.2025	68	श्री रामसरन पुत्र गंगाराम निवासी मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
69	04.07.2025	69	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जगदेश सिंह निवासी मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
70	04.07.2025	70	श्री सागर निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
71	04.07.2025	71	श्री रामकुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
72	04.07.2025	72	श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी अमरपाल निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
73	04.07.2025	73	श्री अरविन्द निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
74	04.07.2025	74	श्रीमती अनीता देवी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी चॉदेश्वर मन्दिर के पीछे रोड मैनपुरी।
75	04.07.2025	75	श्री उमाकान्त सिंह गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
76	04.07.2025	76	श्रीमती शीलादेवी पत्नी ओमकार सिंह गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
77	04.07.2025	77	श्रीमती रोशना देवी पत्नी शैलेन्द्र सिंह गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
78	04.07.2025	78	श्री राहुल पुत्र जयनन्दन सिह गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
79	04.07.2025	79	श्रीमती गंगादेवी पत्नी नन्दलाल शाक्य गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
80	04.07.2025	80	श्री अंशुल पाण्डेय पुत्र प्रदीप पाण्डेय मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
81	04.07.2025	81	श्री तेज सिंह पुत्र किताव सिंह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
82	04.07.2025	82	श्री राजेन्द्र सिह पुत्र सत्यपाल सिह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
83	04.07.2025	83	श्रीमती लतेश यादव पत्नी राजकिशोर मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
84	04.07.2025	84	श्री अमर सिह पुत्र मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
85	04.07.2025	85	श्रीमती सरोजनी पत्नी रोहन सिह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
86	04.07.2025	86	श्रीमती सरिता पत्नी जयवीर सिंह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
87	04.07.2025	87	श्रीमती नीरू चौहान पत्नी छोटे सिंह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
88	04.07.2025	88	श्री अंजेश कुमार पुत्र रामदास सिह मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
89	04.07.2025	89	श्रीमती कुसुम पत्नी विजयपाल मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
90	04.07.2025	90	श्रीमती मंजू पत्नी सुधीर कुमार मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
91	04.07.2025	91	श्रीमती सुमन पत्नी रनवेश कुमार मोहन नगर चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
92	04.07.2025	92	श्री महावीर सिह पुत्र वेदेलाल गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
93	04.07.2025	93	श्री दुर्गेश कुमार गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
94	04.07.2025	94	श्री धर्मेन्द्र पुत्र जालिम सिह गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
95	04.07.2025	95	श्रीमती विनीता पत्नी कुँवर पाल गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
96	04.07.2025	96	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र राकेश कुमार गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
97	04.07.2025	97	श्री मनोज पुत्र रामसेवक गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
98	04.07.2025	98	श्रीमती किशोरीदेवी पत्नी मनोज कुमार गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
99	04.07.2025	99	श्री आनन्द कुमार गणेश कालौनी चॉदेश्वर रोड मैनपुरी।
100	04.07.2025	100	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिह
101	04.07.2025	101	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी धनपाल सिंह
102	04.07.2025	102	श्रीमती कल्पना पत्नी कर्ममित्र
103	04.07.2025	103	श्रीमती सीमा देवी पुत्र धर्ममित्र
104	04.07.2025	104	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी जगन्नलाल
105	04.07.2025	105	श्री अरूण मिश्रा
106	04.07.2025	106	श्री पप्पू सिंह पुत्र महीपाल सिह
107	04.07.2025	107	श्री राजेश कुमार पुत्र महीपाल सिंह
108	07.07.2025	108	श्री नीटू डीलर ब्राह्मण

109	07.07.2025	109	श्री मुनेश पुत्र नाथूराम
110	07.07.2025	110	श्रीमती अनीता देवी पत्नी अशोक कुमार
111	07.07.2025	111	श्री अवनीश पुत्र कालीचरन
112	07.07.2025	112	श्री सुशील कुमार पुत्र गंगाराम
113	07.07.2025	113	श्री अशोक कुमार ठाकुर पुत्र
114	07.07.2025	114	श्री कलदीप शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा
115	07.07.2025	115	श्री विनय कुमार पुत्र अमर सिंह
116	07.07.2025	116	श्री आशीष कुमार पुत्र कोतवाल सिंह
117	07.07.2025	117	श्रीमती संतोषी पत्नी दिनेश चन्द्र शर्मा
118	07.07.2025	118	श्रीमती सरवती पत्नी सुरेन्द्र सिह
119	07.07.2025	119	श्री संजय कुमार पुत्र हाकिम सिंह
120	07.07.2025	120	श्रीमती राजकुमारी पत्नी रवीन्द्र कुमार
121	07.07.2025	121	श्रीमती धनदेवी पत्नी ब्रजराज
122	07.07.2025	122	श्री बृजेश सिंह पुत्र मिढ़ई सिंह परिहार
123	07.07.2025	123	श्री दीपक दास पुत्र इन्प्रोजी सेन्ट मेरी स्कूल मैनपुरी
124	07.07.2025	124	श्रीमती आरती पत्नी कुलदीप सक्सेना
125	07.07.2025	125	श्री बृजेश सिंह पुत्र रामप्रकाश
126	07.07.2025	126	श्री अवनीश पुत्र दयाशंकर
127	07.07.2025	127	श्रीमती हंसमुखी पत्नी रविप्रताप
128	07.07.2025	128	श्रीमती किरन देवी पत्नी अशोक कुमार
129	07.07.2025	129	श्री दीपक सक्सेना
130	07.07.2025	130	श्रीमती राजकुमारी पत्नी ओमपाल
131	07.07.2025	131	श्रीमती सुनीता पत्नी रवीन्द्र
132	07.07.2025	132	श्री गोपाल पुत्र
133	07.07.2025	133	श्रीमती राजरानी पत्नी सिपाही रामपाल
134	07.07.2025	134	श्री आनन्द पुत्र महेश कश्यप
135	07.07.2025	135	श्रीमती जैतून बैगम पत्नी श्री रज्जाक खां
136	07.07.2025	136	श्रीमती सरोज पत्नी बन्ने खां
137	07.07.2025	137	श्रीमती शशी प्रभा पत्नी किशोर
138	07.07.2025	138	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी शेर सिंह
139	07.07.2025	139	श्रीमती शिल्पी पत्नी रामरतन वर्मा
140	07.07.2025	140	श्रीमती सीमा पत्नी प्रदीप राठौर
141	07.07.2025	141	श्रीमती मीना देवी पत्नी मुकेश यादव
142	07.07.2025	142	श्रीमती अमर देवी पत्नी धर्मपाल
143	07.07.2025	143	श्रीमती संगीता पत्नी दलपत
144	07.07.2025	144	श्रीमती विमलेश पत्नी जितेन्द्र पाल
145	07.07.2025	145	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र हुकुम सिंह
146	07.07.2025	146	श्रीमती महेश्वरी देवी पत्नी सज्जन सिंह
147	07.07.2025	147	श्री भोले पुत्र कमलेश दीक्षित
148	07.07.2025	148	श्री मान सिंह पुत्र विश्राम सिंह
149	07.07.2025	149	श्री सुधीर यादव पुत्र विश्राम सिह
150	07.07.2025	150	श्री रामवीर सिंह पुत्र तिलक सिंह
जनपद मैनपुरी में तहसील भोगांव क्षेत्रान्तर्गत ईशन नदी के दोनो किनारों से अतिक्रमण हटाये जाने नोटिस निर्गत किये गये।			
151	07.07.2025	151	श्री शोभाराम पुत्र रामचरन
152	07.07.2025	152	श्री अनार सिंह पुत्र कालीचरन
153	07.07.2025	153	श्रीमती सियादेवी पत्नी नरेन्द्र सिंह
154	07.07.2025	154	श्री मेघनाथ पुत्र निरोत्तम
155	07.07.2025	155	श्री रघुराई पुत्र जसवन्त
156	07.07.2025	156	श्री रामवीर पुत्र हवलदार
157	07.07.2025	157	श्री रामपाल पुत्र मदनलाल
158	07.07.2025	158	श्री सुरेन्द्र पुत्र लक्षमण सिह
159	07.07.2025	159	श्री अनिल कुमार पुत्र जानकी प्रसाद
160	07.07.2025	160	श्री भूपकिशोर पुत्र जसवन्त सिंह
161	07.07.2025	161	श्री सन्तोष पुत्र
162	07.07.2025	162	श्री रामफेर पुत्र रामवावू
163	07.07.2025	163	श्री बलराम पुत्र फूल सिह
164	07.07.2025	164	श्री दीप सिह पुत्र श्री चन्द्रपाल
165	07.07.2025	165	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद

166	07.07.2025	166	श्री मेघनाथ पुत्र निरोत्तम
167	07.07.2025	167	श्री मोहब्बत सिह पुत्र गोपीचन्द्र
168	07.07.2025	168	श्री जीवराम पुत्र जीवाराम
169	07.07.2025	169	श्री झब्बूलाल पुत्र मुंशीलाल
170	07.07.2025	170	श्री विजय कुमार पुत्र रामप्रकाश

नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र मैनपुरी।

दिनांकः 29.05.2025 को ईशन नदी से अतिक्रमण व अवैध कब्जा हटाये जाने के फोटोग्राफ्स्

दिनांकः 29.05.2025 को ईशन नदी से अतिक्रमण व अवैध कब्जा हटाये जाने के फोटोग्राफ्स्

ईशन नदी से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु नोटिस देने की विधिक कार्यवाही के फोटोग्राफ्स्

150

ईशन नदी बफर जोन सम्बन्धी लगाये गये नोटिस बोर्ड के फोटोग्राफ्स्

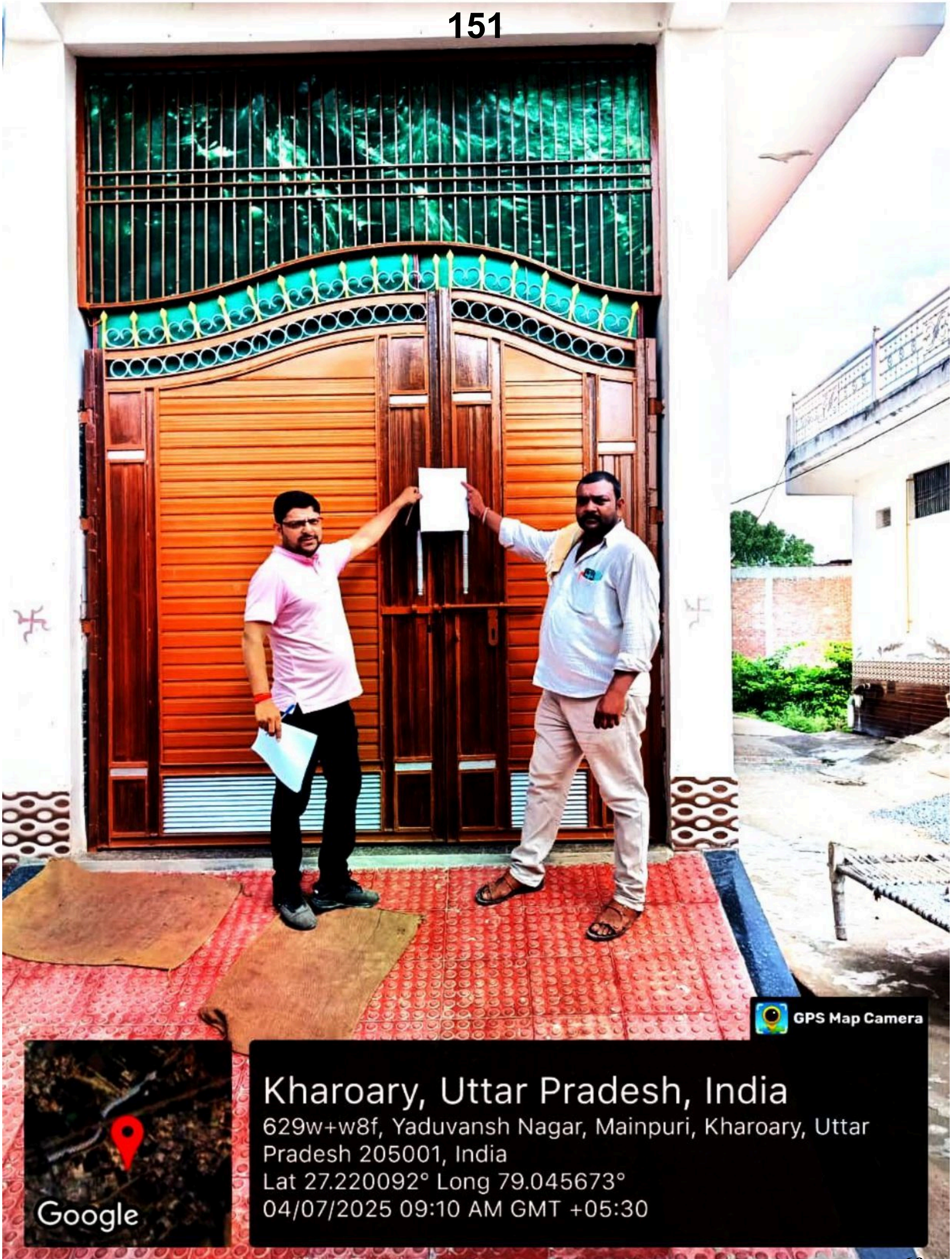
151
GPS Map Camera
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 09:10 AM GMT +05:30
Google

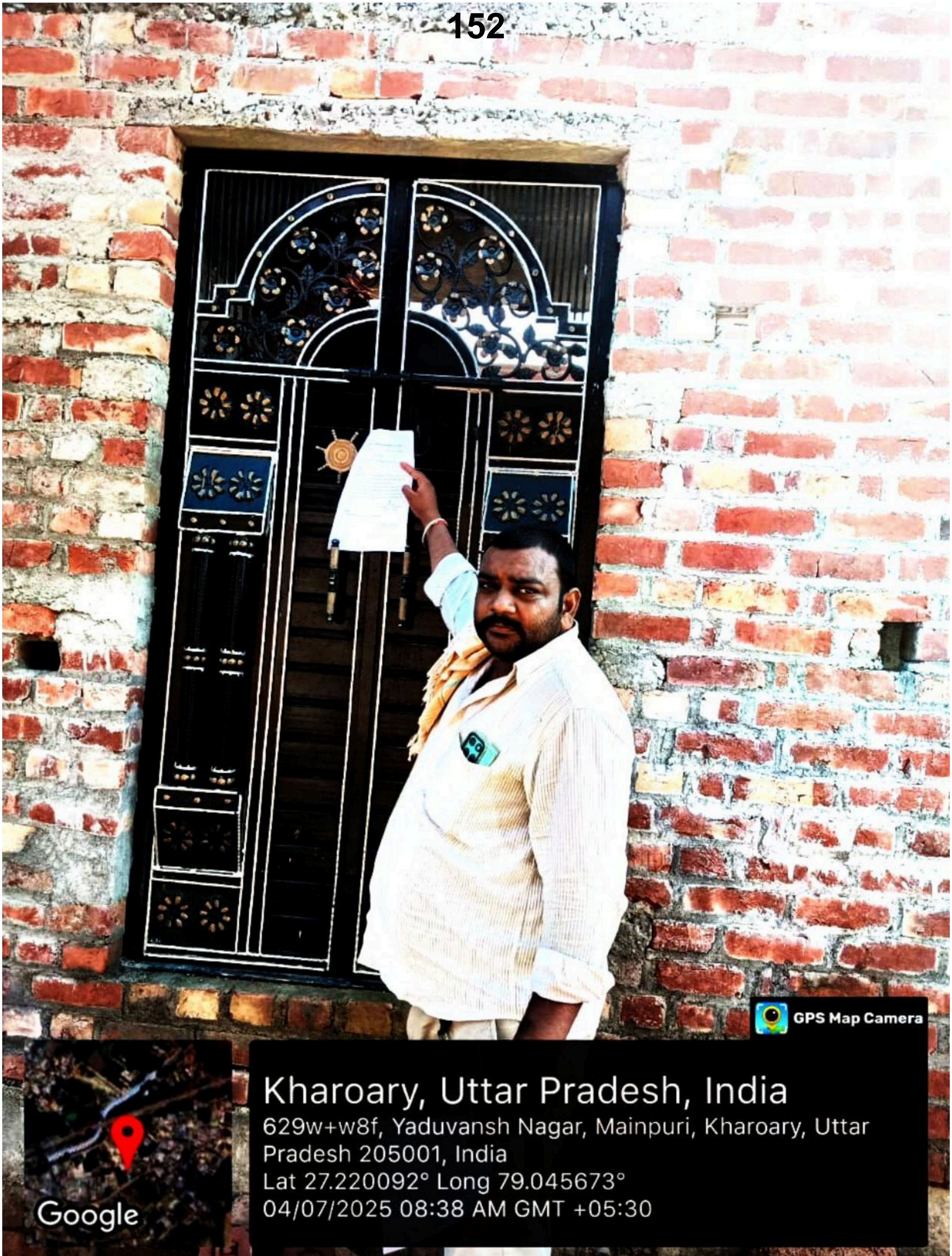
GPS Map Camera
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 08:38 AM GMT +05:30
Google

Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 07:59 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 07:49 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 08:58 AM GMT +05:30

मकान किराए हेतु
खाली है
सपर्क करे
8414876348
GPS Map Camera
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 08:58 AM GMT +05:30
Google

157
GPS Map Camera
Google
Kharoary, Uttar Pradesh, India
629w+w8f, Yaduvansh Nagar, Mainpuri, Kharoary, Uttar
Pradesh 205001, India
Lat 27.220092° Long 79.045673°
04/07/2025 08:58 AM GMT +05:30

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भोगॉव जनपद मैनपुरी

पत्रांक 31 /र0लि0/2025–26 दिनांक–7/7/2025

अधिशासी अभियन्ता,
मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंगा नहर,
मैनपुरी।

विषयः– जनपद मैनपुरी में तहसील भोगॉव क्षेत्रान्तर्गत ईशन नदी के दोनो किनारों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 469/मैप्रनिगंनमै/जिला गंगा समिति/2025–26/ दिनांक–17.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत दिनांक– 13.06.2025 को सम्पन्न हुई जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी द्वारा ईशन नदी के दोनो किनारों पर अतिक्रमण व अबैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पुसैना में ईशन नदी के दोनो किनारों पर लगभग 50–50 मीटर बफर जॉन घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत अस्थायी/स्थायी कब्जा धाराकों के जॉच करायी गयी। अबैध कब्जा धारकों के विरूद्ध अबैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–24.06.2025 को नोटिस जारी कर दिये गये है।

7/7/25
उप जिलाधिकारी, भोगॉव,
जनपद मैनपुरी।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, मैनपुरी।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, मैनपुरी।

उप जिलाधिकारी, भोगॉव,
जनपद मैनपुरी।

कार्यालय,नगर पालिका परिषद,मैनपुरी

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंगा नहर,
मैनपुरी

संख्याः

दिनांकः

विषयः **Hon'ble The national Green Tribunal Principal Bench,New Delhi** में योजित वाद श्री अजय प्रताप सिंह बनाम जिलाधिकारी मैनपुरी व अन्य तथा ईशन नदी में गिर रहे नालों पर वार्मेसिंग लगवाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है –

क्र0सं0	नाला	विवरण	फोटो
1	पीपराघाट रोड पर स्थित शमशानघाट के पास।(1.32MLDस्राव)	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 01कि0 मी0 है। जो ईशन नदी शमशानघाट के पास गिरता है। वहां पर वायर मैस लगवा दिया गया है। फोटो संलग्न	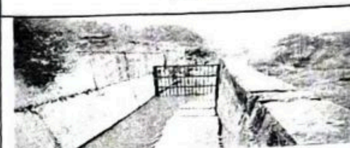
2	ईशन नदी Bridge (ब्रिज) के पास बी–बाजार की तरफ से गिरने वाला नाला। (1.20MLD स्राव)	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1.50 कि0मी0 है।जो ईशन नदी Bridge (ब्रिज) के पास बी–बाजार की तरफ गिरता है। वहां पर वायर मैस लगवा दिया गया है। फोटो संलग्न	
3	ईशन नदी Bridge (ब्रिज) के पास जज कम्पाउण्ड की तरफ से गिरने वाला नाला।	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 02 कि0मी0 है। जो ईशन नदी Bridge (ब्रिज) के पास जज कम्पाउण्ड की तरफ गिरता है। वहां पर वायर मैस लगवा दिया गया है। फोटो संलग्न	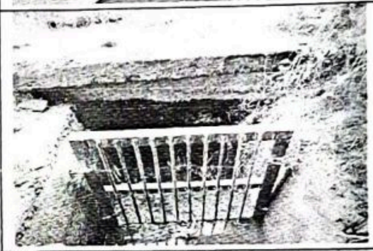
4	चॉदेश्वर रोड़ स्थित भदौरिया ट्रेडर्स के पास नाला।	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1.80 कि0मी0 है। जो चॉदेश्वर रोड़ स्थित भदौरिया ट्रेडर्स के पास नाला है। वहां पर वायर मैस लगवा दिया गया है। फोटो संलग्न	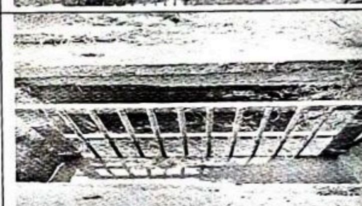
5	सैन्ट मैरी स्कूल के पास मुख्य नाला। (3.62MLD स्राव)	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1.80 कि0मी0 है। जो सैन्ट मैरी स्कूल के पास मुख्य नाला है। वायर मैस लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	—
6	कर्बला के पास एच0 पी0 गैस गोदाम के सामने। (0.92MLD स्राव)	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1.80 कि0मी0 है। जो कर्बला के पास एच0 पी0 गैस गोदाम के सामने है। कार्य प्रगति पर है।	—
7	दिवानी रोड़ स्थित विकास भवन से पहले कत्थ फैक्ट्री के पास।	उक्त नाला की लगभग लम्बाई 1.80 कि0मी0 है। जो दिवानी रोड़ स्थित विकास भवन से पहले कत्थ फैक्ट्री के पास है। वायर मैस लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	—

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,मैनपुरी
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मैनपुरी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०–105/2025 अजय प्रताप सिंह बनाम डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी, उ०प्र० व अन्य में दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ सिंचाई विभाग, मैनपुरी से सम्बन्धित वांछित सूचना–

1. ईशन नदी का उद्‌गम जनपद एटा से 14 कि०मी० दक्षिण–पश्चिम की ओर नगला सुजान गांव के पास जनसोई माइनर के पास है। इस नदी की कुल लम्बाई 317.300 किमी० है। जनपद मैनपुरी में ईशन नदी तहसील घिरोर के ग्राम बुरहरा में प्रवेश करती है तथा तहसील किशनी में कुसमरा से बहते हुए, जनपद कन्नौज में प्रवाहित होती है। जनपद मैनपुरी में ईशन नदी की कुल लम्बाई 112.00 किमी० है। ईशन नदी में, काक नदी एवं सीधे गिरने वाले प्राकृतिक नाले क्रमशः चिरावर ड्रेन, ईसई ड्रेन, रसेमर ड्रेन, एलाबॉस ड्रेन, झंडाहार ड्रेन, मंछना ड्रेन, एलऊ ड्रेन, उसनैदा ड्रेन, छत्तारी ड्रेन, नौनेर कट ड्रेन, औंग ड्रेन, सिकंदरपुर ड्रेन, लालपुर सथनी ड्रेन, खिचौली ड्रेन, दिवलपुर ड्रेन, हथपऊ ड्रेन, काक नदी ड्रेन (0.00 से 42.000) बुढर्रा ड्रेन, तिसाह ड्रेन, गुलाल गजानन ड्रेन, नसीरपुर ड्रेन, औंछा ड्रेन, मधान ड्रेन, रमपुरा ड्रेन, बुडौली ड्रेन, बंसारउऊ ड्रेन, रविदासपुर ड्रेन, खारजा तरिहा ड्रेन, सुरजनपुर ड्रेन, जलालपुर ड्रेन, पुसैना ड्रेन व अजीतगंज ड्रेन, हैं।

जनपद मैनपुरी में शहरी आबादी भाग (तहसील मैनपुरी सदर एवं भोगांव) में घरों से निकलने वाले वाटर वैस्टेज विभिन्न निम्नलिखित 08 नालों के माध्यम से ईशन नदी में गिरता है।

S.No.	Name of Local Boady	Drain Name	River Name in which drain meet
1	Nagar Palika Parishad, Mainpuri	Kharja Drain	Ishan River
2		Drain meets at Satish Mall	
3		Drain meets at Chandeshwar mandir road	
4		Drain near Shamshan Ghat	
5		Drain at Karbala Ghat	
6		Lengang Drain meets near saint marry school	
7		Drain at Eshan River bridge kurawali road, Mainpuri	
8	Nagar Panchayat Kushmara, District Mainpuri	Kori Nala Kushmara	

उक्त नालों की टैंपिंग तथा शोधन हेतु एस.टी.पी. के निर्माण हेतु, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है।

2. ईशन नदी के किनारे से इन्क्रोचमेन्ट/अतिक्रमण हटाये जाने हेतु, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नदी के किनारे *Green Buffer Zone and No Builing Activity* के सम्बन्ध में, जारी गाइडलाइन्स–

"8.3.4 Buffer Along/Around Water Bodies."

"The water bodies and watercourses be maintained as recreational/green buffer zone and no builing activity other than recreational use be carried out within;

(i) 100 m from the river edge outside Municipal Corporation/Municipal limits and 50 m within Municipal Corporation/Municipal limits. No permanent construction be permitted within the buffer zone.

(ii) 50 m. from the boundary of lakes of surface area for 10 ha. and above.

(iii) 30 m. from the boundary of lakes of an area of less than 10 ha/ponds/tank bed lands.

(iv) 12 m. from boundary of major canal, streams nallahs, canals, etc."

के अनुसार नगरीय क्षेत्र में नदी के किनारे से 50 मी० की दूरी तक *Buffer Zone* घोषित होने के दृष्टिगत, जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग, मैनपुरी की संयुक्त टीम द्वारा, ईशन नदी के दोनों किनारों से 50 मी० की दूरी तक अवैध कब्जा/अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित को अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु, उपजिलाधिकारी, मैनपुरी सदर/भोगांव के द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। ईशन नदी के कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गयी है, जिसके फोटोग्राफ्स् संलग्न हैं।

3. ईशन नदी के फ्लड प्लेन जोन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर
मैनपुरी

ईशन नदी ब्रिज के पास वी बाजार की तरफ से गिरने वाले नाले पर जाल लगाये जाने का कार्य।

चांदेश्वर रोड पर स्थित भदौरिया ट्रैडर्स के पास नाले पर जाल लगाये जाने का कार्य

ईशन नदी ब्रिज के पास जज कम्पाउण्ड की तरफ से गिरने वाले नाले पर जाल लगाये जाने का का

पीपरा घाट रोड पर स्थित श्मशान घाट के पास नाले पर जाल लगाये जाने का कार्य।